

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, को-चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No P2/857/24 ANTIM SHRIWAS, Lessee, R/o-Village- Surpala, Tehsil-Badwaha, District- Khargone, M.P Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone (Gitti) – 20520 m3/Year, OB-4320 m3/Year) (Khasra No. 131/1/1/5), Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.) (TOR)**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	ANTIM SHRIWAS, Lessee, R/o-Village- Surpala, Tehsil- Badwaha, District- Khargone, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	131/1/1/5 (Govt.Land)	3.00 hectare.
स्थल	Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 536 दिनांक 02/3/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 27/10/2016 के द्वारा पत्थर-20520 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट (डिया से सिया)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा <b>Stone (Gitti) – 20520 m3/Year, OB-</b>	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	<b>4320 m3/Year</b> घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार <b>Stone (Gitti) – 20520 3/Year, OB-4320 m3/Year</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 394 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 394 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 394 दिनांक 29/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंगवासा जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 09/12/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण इंदौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

**PP submitted that with reference to the aforementioned subject, we wish to bring to your attention that, in accordance with clause 09 of the policy decision made by the respected MP-SEIAA during the 826th meeting held on 23-01-2024, our case is to be considered as a new case. This is due to changes in production From 20520 Cu.mt/year Stone to 20520 Cu.mt/year & 4320 Cu.mt/year OB in the previous environmental clearance granted by DEIAA. As a result, we are submitting an application for this case to be considered as new.**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**2. Case No 10569/2023 Shri Rakhi Mavai, Lease Owner, R/o Jai Nagar Kothi, High School Field, Ganeshpura, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (150234 cum per year) (Khasra No. 124, 125), Village-Malkhanpura, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) [441515] ToR Case.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राखी मवाई (पट्टास्वामिनी) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजनाविवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती राखी मवाई पत्नी श्री प्रबल प्रताप सिंह मवाई पता: साई कृपा जयनगर कोठी, तहसील एवं जिला –मोरेना (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	124 & 125/ 4.0 ha (सरकारी भूमि/नॉनफॉरेस्ट लैंड) नौइयत –पहाड़ और चारागाह
स्थल	VILLAGE- MALKHANPUR, TEHSIL- MORENA AND DISTRICT- MORENA AND STATE- MADHYA PRADESH.
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-मुरैना (म.प्र.) क्रमांक/क्यू/खनिज/प्रक/क्यू एल/21/2015 मुरैना दिनांक-22 अगस्त 2016 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	सचिवालय जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण DEIAA एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति DEAC खनिज शाखा कलेक्टर जिला मुरैना (म.प्र.) पत्र क्रमांक/क्यू/3/मा.रा./DEIAA/प्र. क्र./70/2016, मुरैना, दिनांक-17 अक्टूबर 2016 उत्पादन मात्रा –70,000 घनमीटर/वर्ष
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन (गिट्टी) –1,50,234 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन (गिट्टी) –1,50,234 घनमीटर/वर्ष
टॉर	TOR Recommended in 697 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 23/12/2023. <b>TOR Letter no. 2398/SEIAA/2023, dated 27/12/2023</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुरैना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क पत्र क्रमांक/खनिज/क्यू एल/21/15/706, मुरैना, दिनांक-30/06/2023 अनुसार 500

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 04 अन्य खदान जिसका रकबा 9.70 हेक्टेयर है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुर्ैना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्रक्रमांक/खनिज/क्यू एल/21/15/706, मुर्ैना, दिनांक-30/06/2023 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुर्ैना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र के पत्रक्रमांक/खनिज/क्यू एल/21/15/706, मुर्ैना, दिनांक-30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहींहै।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत उराहना जनपद पंचायत मुर्ैना ग्राम मलखनपुरा के ठहराव प्रस्ताव 04 दिनांक 18/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में उराहना तालाब-220 मीटर पर (कार्यालय तहसीलदार तहसील बानमौर जिला मुर्ैना के पत्र क्रमांक /खनिज /2024/2111 दिनांक 13.5.2024 के अनुसार) दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्चा रोड -195 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में आबादी-380 मीटर पर दक्षिण दिशा में आबादी-410 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पृष्ठ क्रमांक-11 के सरल क्रमांक-12 पर अंकित है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता नुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।  लीज एरिया पहाड़ी पे होने के कारण परियोजना प्रस्तावक ने वृक्षारोपण केशर के बाउंड्री में 150 पेड़ तथा गांव वालो 900 पेड़ प्रतिवर्ष बांटा है।जिसकी अक्षांश देशांश की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।  बेरियर जोन को रिस्टोर कर दिया गया है जिसकी

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

	अक्षांश देशांश सहित छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में खनन कार्य सिर्फ 05 मी. तक ही हुआ है अतः पिट्स में बैचेस अवलोकित नहीं हुई।
पौधा रोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में 1200 नये पौधे भी लगाये गये है। नर्सरी का बिल प्रस्तुत किये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत उरहना में 5 डम्पर गिट्टी तथा 15 डम्पर मुरुम सड़क निर्माण हेतु मुफ्त में प्रदान की गई है। जिसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के दिनांक 12/12/2023 अनुसार kml (based on DGPS coordinates) प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता— पत्थर—1,50,234 घनमीटर/वर्ष परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
2. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.35 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road with water fogging system.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 2,800 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	1,26,000
2	Garland Drain is proposed (780m x 1.5m x 1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 02m (02 Nos.)	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (250m X 5m) @200/sqm	250,000	25,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone- 850. <b>850 x Rs.200= 1,70,000</b>	330,000	33,000
	Plantation in Village @ Rs. 50/plant. Total plantation in Village and Govt. School area- <b>2700 X Rs. 50= 135,000/-</b>		
	Plantation in approach road@ Rs. 500/plant. Total Plantation in approach road- 50 <b>50 X Rs. 500=25,000/-</b>		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	Already installed	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	Already Constructed	10,000
8	Medical Check-up for 31 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	31,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 31 workers+ (2 Extra) =33@ Rs. 1500/worker	49,500	4,950
11	Shelter rooms for labors (20*10) =200 Square feet @Rs.800/square ft.	Already Constructed	24,800
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year	10,000	2,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	maintenance.		
13	Half yearly PUC certification for 18 trucks @1000/truck	NIL	36,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 810m @ 300/meter	Already Constructed	5000
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed	
17	Vocational Training for 31 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	15,500
18	Installation of Solar Panel at the aganbadi kendra of malkhanpura village	70,000	-
19	Barrier zone restoration cost	30000	-
20	Barrier zone restoration cost	30,000	-
	<b>Total</b>	<b>11,06,500/-</b>	<b>5,35,250/-</b>

11. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम उरहना के प्राथमिक शासकीय विद्यालय, के लिए फर्नीचर और 100 बच्चों को बैग हेतु (100 बैग × 400 रुपये शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा।	50,000/-
ग्राम मलखानपुरमे 01 हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की प्रथम वर्ष में जाएगी।	70,000/-

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में शासकीय भूमि	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, गुग्गल करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	850

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	खेरिया चुनेती, उरहना, खारिका, करगवां और जिरैना ग्राम वासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	2650
4	शासकीय विद्यालय मलखानपुर में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50
	चारागाह के विकास हेतु।	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है।	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**3. Case No P2/858/24 Shri Pratap Singh Gurjar, Chota Luharpura, purani Shivpuri, Tehsil - Shivpuri, District-Shivpuri, (M.P.)- 473551, Prior Environment Clearance for TONGARA KHANDA BOULDER & MURRUM QUARRY proposed Murrum Boulder & Khanda Quarry area is 2.00 hectares, Stone mining capacity. Murrum - 18,306 Cubic Meter/Year, Boulder - 8,000 Cubic Meter/Year, Khanda - 4,000 CubicMeter/Year (Total Capacity – 30,306 Cubic Meter/Year), at Khasra No. – 1913, Village – Tongra, Tehsil - Shivpuri, District-Shivpuri, (M.P.), (B2)**

प्रस्तावित खण्डा, बोल्डर एव मुरम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह गुर्जर पुत्र श्री जगदीश सिंह गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pratap Singh Gurjar S/o Shri Jagdish Singh Gurjar R/o- Chhota Luharpura, Tehsil & District- Shivpuri (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1913 (शासकीय – भूमि )	2.00 hectare.
स्थल	Village – Tongara, Tehsil – Shivpuri, District - Shivpuri (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 380 दिनांक 01/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 16/04/2024, कुल क्षमता– 30,306 घनमीटर/वर्ष, खण्डा – 4,000 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर– 8,000 घनमीटर/वर्ष, मुरुम – 18,306 घनमीटर/वर्ष	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– टोंगरा दिनांक– 16/03/2024	
उत्पादन क्षमता	कुल क्षमता– 30,306 घनमीटर/वर्ष, खण्डा – 4,000 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर– 8,000 घनमीटर/वर्ष, मुरुम – 18,306 घनमीटर/वर्ष	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 12/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 12/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 12/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टोंगराजिला शिवपुरी ठहराव प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर खदान क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं हैं एवं पूर्व दिशा में ग्राम पंचायत द्वारा छोटे-छोटे गडढे किये गए है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीम के बीज बोये जावेगें।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – कच्चा रोड़ लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। एव उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 200 मीटर दूरी पर पानी रोकने के संरचना है। पश्चिम दिशा– कुडा पडोन डैम लगभग 298 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/04/2024

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1 अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 30,306 घनमीटर/वर्ष (खण्डा – 4,000 घनमीटर/वर्ष, बोल्डर – 8,000 घनमीटर/वर्ष, मुरुम – 18,306 घनमीटर/वर्ष )
- 2 खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 3 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 11.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.43 लाख प्रति वर्ष

**1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	55,575	-
1(b)	Water requirement- 1.235 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 200/plant.	600 plants × 200 <b>Rs=1,20,000/-</b>	15,000
	b) <b>Plants to be distributed in nearby villagers</b> :@ Rs. 50/plant.	1500 plants × 50 <b>Rs=75,000/-</b>	
	c) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.300/plant	300 plants × 300 <b>Rs=90,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>604 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>599 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,19,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2 )	-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500 )	37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.	18,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1000 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,00,000	-
18	For crusher Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15,000
	TOTAL	11,66,060 /-	1,43,000/-

## 2. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **1.50** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम टोंगरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी। एवं 1,00,000 रु कि राशी 1.5 किमी दूर उत्तर पूर्व में टोंगरा तालाब के गहरी करण के लिए कार्य में लगाई जाएगी।	<b>1,50,000/-</b>

## 3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2400** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	खदान क्षेत्र से ग्राम पंचायत द्वारा है। पूर्व से दक्षिण कि ओर 125 मीटर कि दूरी पर गड्डे खोदे गए	उनमें नीम के बीज बोए जाएंगे	
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
<b>योग</b>			<b>2400</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**4. Case No 9576/23 Shri Banne Gorshiya, Lessee, R/o Village-Shankarpur, Maksi Road District-Ujjain (MP)-456010. Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 1.800 ha. (Stone –7500 m<sup>3</sup>/Year and M-Sand - 7500) (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) SIA/MP/MIN/467278/24 EIA**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक बने सिंह ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	बनेसिंह पिता मोतीलाल गोरसिया, निवासी- ांकरपुर मक्सी रोड, उज्जैन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	188 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.80 हेक्टयेर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम सुरजनवासा, तहसील व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 924/खनिज/2018-19, दिनांक 31.05.2018के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है जिसमें से 7500 गिट्टी एवं 7500 एम सेण्ड है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1951/खनिज/2022-23, दिनांक 10.11.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.94 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1951/खनिज/2022-23, दिनांक 10.11.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1951/खनिज/2022-23, दिनांक 10.11.2022 अनुसार 500 मीटर

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गोल क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजनवासा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक /पंचा/क्यु/451018, दिनांक 29.01.2018अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<b>खदान में 18 पेड़ हैं जिसको नहीं काटा जायेगा</b>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उत्तर दिशा में 102 मीटर पर अस्थाई टीन शेड का ढांचा बना हुआ है</li> <li>• पूर्व दिशा में 11 मीटर पर हॉलेज रोड है।</li> <li>• उत्तर दिशा में 295 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है।</li> <li>• दक्षिण दिशा में 280 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है।</li> <li>• उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में कृषि क्षेत्र होने के कारण 25 मीटर का सेटबैक दिया गया है</li> </ul>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 36 के सरल क्रमांक- 51 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	17जनवरी 2024 को जनसुनवाई आयोजित हुई जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विंष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुंसा करती है:-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **7500 गिट्टी एवं 7500एम सेण्ड** है
2. यदि खनन कार्य 6.मी. से नीचे किया जाता है तो डीजीएमएस की अनुमति प्राप्त की जावेगी।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	50,000
1.ब	पानी की कीमत 4.00 KLD	-	1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 9 / 00मी के साथ 600मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	5,40,000	40,000
3.	वृक्षारोपण	5,35,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों वर्ष के लिए/70,500	-	1,41,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक ) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर .और रु ( वर्ष रखरखाव के लिए।/2000	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2	30,000	3,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।		
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष ) में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु।	-	16,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	24,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	2,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000 X 4 सोलर लाइट) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु . 5,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ 3500 X 4 ( ) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड@ (/2000आदि	45,000	4,000
14.	मजदूरों के लिए वीडियो प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	8,000
15	खदान के परिधि में 700 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु.5/00मीटर की जाएगी(	3,50,000	15,000
16	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 685 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 10) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 10) एवं मजदूरी	56,000	10,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 भाग का पुनःभरण किया जायेगा लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 100 मीटर	60,000	-
18	निकट ग्राम सुरजनवासा के स्कूल एवं ग्रामपंचायत भवन में सोलर पैनल स्थापित किया जायेगा	50,000	5,000
19	चारागाह विकास हेतु ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता की जाएगी	50,000	
20	खदान क्षेत्रमें क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	1,50,000	50,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	<b>कुल योग</b>	<b>20,86,000</b>	<b>5,33,000</b>
--	----------------	------------------	-----------------

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम सुरजनवासा के शासकीय प्राथमिकविद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	50,000
<b>समीपस्थ तालाब का गहरीकरण किया जायेगा</b>	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम .....वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.500 मीटर) में एवंकृषि क्षेत्र के कारणमी 25के सेड बैंककेसाथ500 मीटर की परिधि पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा )	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	<b>1000</b>
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड 600 मीटर) के दोनो तरफ मे 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	कला सिरस, बाँस, गुलमोहर, कचनार नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आदि।	<b>600</b>
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे ग्राम सुरजनवासा	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	<b>700</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**5. Case No P2/859/24 Shri Nishank Garg, S/o Shri Bhagwan Das Garg, R/o - Jaat Muhalla Guna, District- Guna, (M.P) - 473001, Prior Environment Clearance for Mohanpurkala Stone Quarry with a Production Capacity of 19,000 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 4.00 Ha., Khasra No. - 57/1, Village - Mohanpura, Tehsil- Guna, Distt- Guna (M.P.). ToR.**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Nishank Garg, S/o Shri Bhagwan Das Garg, R/o - Jaat Muhalla Guna, District- Guna, (M.P) - 473001, Prior Environment Clearance for Mohanpurkala Stone Quarry with a Production Capacity of 19,000 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 4.00 Ha., Khasra No. - 57/1, Village - Mohanpura, Tehsil- Guna, Distt- Guna (M.P.). <b>Form-2. DEIAA to SEIAA ToR. SIA/MP/MIN/464424/2024.</b>	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. - 57/1,	एरिया - 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village - Mohanpurkala, Tehsil - Guna, District - Guna (M.P.).	
Description of Project;	It is a stone quarry with a production capacity of max. 19,000 cubic meter per year Gitti having a lease area of 4.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Guna at Khasra No. - 57/1, Village - Mohanpurkala, Tehsil - Guna, District - Guna (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
सैधातिक सहमति	कार्यालय, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र., भोपाल का पत्र क्र०. 21635 दिनांक 18/12/2015.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Guna vide letter no. 126 dated 26/05/2016. Capacity - 20,000 M <sup>3</sup> /Year.	
उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Stone (Gitti) - 19,000 m <sup>3</sup> /Year,	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 105 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	कुल रकबा <b>10.00</b> हे. होता है, अतः प्रकरण <b>बी-1</b> श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>गुना</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 105 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – <b>गुना</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 105 दिनांक 12/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – नेगमा, जिला – <b>गुना</b> द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र. 17 दिनांक 06/03/2012 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैधता	CTO will be applied after getting Environmental Clearance as previous CTO is expired.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्र. – 26 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**6. Case No. – P2/861/2024 Shri Gurdeep Singh, Lessee, Village - Futera Pacher, Tehsil - Isagarh, District - Ashoknagar, (M.P.) - 473335, Prior Environment Clearance for Futera Pachhar Crusher Stone Quarry an Area - 2.00 ha., Khasra No. - 963/1, at Village – Futera, Tehsil- Isagarh, Distt. - Ashoknagar (M.P.) with Stone (Gitti) - 7,980 M3/Year, B2 Case.**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गुरदीप सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Gurdeep Singh Sikh S/o Shri Arjun Singh Sikh Resi- Village- Futera Pachhar, Tehsil- Isagarh District- Ashoknagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	963 / 1 ( निजी – भूमि )	2.00 hectare.
स्थल	Village – Futera Pachhar, Tehsil – Isagarh, District - Ashoknagar (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक 677 दिनांक 28/09/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष—, क्षमता— पत्थर 7,980 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– फुटेरा पछार दिनांक– 16/02/2024	
उत्पादन क्षमता	क्षमता— पत्थर 7,980 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 748 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 748 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 748 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फुटेरा पछार जिला अशोकनगर ठहराव प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 04/03/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<b>उत्तर दिशा</b> — नाला लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एवं कच्चा रोड लगभग 370 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, खदान के चारो तरफ जो कृषी क्षेत्र है वह स्वय परियोजना प्रस्तावक का है जिससे 25 मीटर का सेटबेक दिया गया हैं।
	<b>पूर्व दिशा</b> – नाला लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित है इस संबंध में 25 मीटर का सेटबेक दिया गया हैं।
	<b>दक्षिण दिशा</b> — कच्चा रोड लगभग 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृषी क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबेक दिया गया हैं। कृषी क्षेत्र के कारण जो 25 मीटर का सेटबेक दिया गया है उससे कच्चे रोड कि दूरी 105 मीटर कि दूरी हो गई है।
	<b>पश्चिम दिशा</b> — मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कृषी क्षेत्र से 25 मीटर का सेटबेक दिया गया हैं।
	सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 1.0541 हेक्टेयरर हैं एवं नोन माईनिंग एरिया 0.4996 हे है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/04/2024

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में खनन हेतु आदेश क्रमांक 165 दिनांक 26/02/2019 जारी हुआ था परन्तु परियोजना प्रस्तावक के अस्वस्थ होने एवं कोरोना काल के कारण पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन नहीं किया गया था। अतः इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर स्टोन खदान 7,980 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. खनन क्षेत्र के चारों ओर खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.31. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.28 लाख प्रति वर्ष

**4. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	36,450	-
1(b)	Water requirement- 0.810 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (250 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	600 plants × 200 Rs=1,20,000/-	15,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	<b>b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.</b>	1500 plants × 50 <b>Rs=75,000/-</b>		
	<b>c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant</b>	300 plants × 300 <b>Rs=90,000/-</b>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>621 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>		80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>616 m</b> ) @200 rupees/meter.		1,23,200	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10× 500 × 2 )		-	10,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500 )		15,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	1,000
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at mine entrance.</li> </ol>		22,000	-
17	Crushse Equipments for Dust control		1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>		<b>10,31,835 /-</b>	<b>1,28,000/-</b>

**5. CER Table**

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **1.50** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम फुटेरा – पछार के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी। एवं 10 हेन्ड पंप के रिर्चाज पिट बनाए जाएगे 1,00,000 रु में	1,50,000/-

**6. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2400** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
<b>योग</b>			<b>2400</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**7. Case No. – P2/863/2024 Shri UPENDRA SURYAWANSHI, Lessee, R/o- Chandrashekhar ward Sadra Betul, Tehsil & District- Betul (M.P.) Prior**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (5292 cum per annum)**  
**(Khasra No. 413/1 & 413/3) Village AMBARA Tehsil Amla District Betul (M.P.).**

**B-2 DEIAA- Re-appraisal**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सुर्यवंशी पिता श्री पत्थू प्रसाद सुर्यवंशी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री उपेन्द्र सुर्यवंशी पिता श्री पत्थू प्रसाद सुर्यवंशी निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल तेहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 413/1 & 413/3 (निजी सहमति पर-नॉन फॉरेस्ट लैंड) Hectare.1.00
स्थल	Village-Ambada Tehsil -Amla, District-Betul (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक खनिज-1/18/1693 दिनांक 19/09/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 13/DEIAA/2018 दिनांक 12/02/2018 के द्वारा पत्थर-5292 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 5292 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 5292 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.2023/1637 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.665 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.2023/1637 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक ख.लि.2023/1637 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अम्बाड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक ग्रा.प./खनिल/2017/Q दिनांक 30.09.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- में 25मी. की दूरी में छोटा तालाब परिलक्षित हो रहा है जिसके बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार तालाब से 100 मीटर का सेटबैक दिया जाएगा एवं इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा साथ ही खनन कार्य के लिए रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा एवं ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी जो की अनुमोदित खनन योजना में भी दिया हुआ है ।  खदान के आस पास कुछ गद्दे परिलक्षित हो रहे हैं जिसका विवरण एकल प्रमाण पत्र क्रमांक ख.लि.2023/1637 दिनांक 06.10.2023 में दिया हुआ है एकल के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर में पूर्व की खदान का एक गड्ढा है जिसकी अवधि समाप्त हो गयी है एवं अन्य गड्ढे किसानों द्वारा सिंचाई कार्य के लिए बनाए गए है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 50 पौधे ग्रामवासियों को वितरित किये गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –पत्थर– 5292 घनमीटर/ वर्ष
2. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जायें
3. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये । उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

4. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.72 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 400 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	60,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 170 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	51,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1200 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 <sup>st</sup> year -up to ~450m periphery of Mine lease boundary (485 nos.)	67,500	40,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there)  - 1st year- 600 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 30,000	
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.124 cubic meter soil use for per tree. So 74.4 Cubic meter soil needed for no. of 600 trees	7,440	-
6	Total Wire Fencing = (~485 m long) - {40% completed=195 m} (60% Remaining to be installed = 290 m @500 Rs./m)	1,45,000	25,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
<b>Labor Welfare</b>			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
<b>Solid Waste Management</b>			
14	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
15	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	20,000	
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the carbon mitigation 200 nos @Rs100/bulb	20,000	
<b>Total</b>		<b>5,42,440</b>	<b>1,72,500</b>

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अम्बाड़ाके विद्यालय विकास हेतु विद्यालय के बैंक खाते में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 6 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	40,000/-
<b>कुल</b>	<b>40,000/-</b>

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- आम, संतरा, जामुन, सीताफल, जंगल जलेबी, नीम आंवला, मुनगा हाइब्रिड गुआवा, कटहल	450

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

		अचार आदि	
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम अम्बाड़ा के शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**8. Case No P2/864/24 BHAIYALAL, Lessee, R/o-Village-Dedatalai, Tehsil- Khaknar, District-Burhanpur, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti in an area of 1.75 ha. (Gitti – 20000 m3/Year) (Khasra No. 18/2), Village-Chokhanda, Tehsil- Khaknar, District- Burhanpur (M.P.).SIA/MP/MIN/470108/2024 B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भैयालाल पिता श्री मोतीराम कास्डेकर ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भैयालाल पिता श्री मोतीराम कास्डेकर निवासी-ग्राम-देडतलाई तहसील खकनार जिला बुरहानपुर (म.प्र.)



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	स्वयं निजीभूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 18/2	1.750Hectare.
स्थल	ग्राम चौखण्डा तहसील-खकनार, जिला- बुरहानपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा ) जिला बुरहानपुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1176/खनिज/2023 दिनांक 29/12/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन-20,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 363/खनिज/2024 दिनांक 18/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 1 खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.050हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 363/खनिज/2024 दिनांक 18/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 363/खनिज/2024 दिनांक 18/04/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत बांलापाट के अनापत्ति पत्र क्रमांक पचा. 23/ दिनांक 16.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण -4 <ul style="list-style-type: none"> <li>● यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 02</li> <li>● काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 20</li> </ul>	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – पक्का रोड 195 मी उत्तर दिशा में स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार पक्के रोड से 200 मीटर खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं इस दिशा में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा ।  उत्तर दिशा – खदान के उत्तर दिशा में 30 मीटर पर एक हॉल रोड स्थित है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –स्टोन–20,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.36 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	---	20,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

3	Development of approach Road (Road length approx. 130 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	65,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
<b>5</b>	<b>Plantation (2120 trees will be planted)</b>			
	<b>WithinLeaseArea</b> (In Barrier Zone) @150rs./tree <b>1st year</b> -in periphery of Mine lease boundary (~580no's)	87,000	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 100 no's on evacuation route up to 130m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 2nd year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these places) 1 <sup>st</sup> year -1370 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 68,500	7,500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~576 m long) (@Rs 500/m)	2,88,000	---	15000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 400m long (per sheet 2mX4m) Rs 1000/per sheet	2,00,000	---	30,000
7.	PUC certification of vehicles ( 1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1,500
<b>Labour Welfare</b>				
8.	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
10.	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16,000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
<b>Solid Waste Management</b>				
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	<b>Other</b>			
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon mitigation.	20,000		
	<b>Total</b>	<b>10,17,500</b>	<b>7,500</b>	<b>2,36,500</b>
		<b>10,25,000</b>		

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर चौखंडा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बैंक खाते में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 06 माह के भीतर जमा की जावेगी।	70,000/-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

योग	70,000/-
-----	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2120 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलॉ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	580
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुत्रंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	1390
4	ग्राम चौखंडा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**9. Case No P2/862/24 Shri Rambabu Gurjar S/o Shri Jasrath Singh Gurjar, R/o Village Sonaheda, Tehsil Murela , District Guna- 473115, Prior Environment Clearance for Pakhariyapura Stone Quarry with a Production Capacity of Stone -**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**10,000 Cubic Meter / Year & M-Sand - 10,000 Cubic Meter / Year, having a lease area of 2.00 Ha., Khasra No. - 9 (S), Village - Pakhariyapura, Tehsil - Chachouda, District- Guna (M.P.). B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामबाबू गुर्जर पुत्र जसरथ सिंह गुर्जर ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रामबाबू गुर्जर पुत्र जसरथ सिंह गुर्जर निवासी-ग्राम सोनाहेडा तहसील चांचौडा, जिला गुना (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	सरकारीभूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड खसरा नं. 9 (एस.)	2.00Hectare.
स्थल	ग्राम पाखरियापुरा तहसील- चांचौडा, जिला- गुना (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा ) जिला गुना (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 3-6/खनिज/2024/208 दिनांक 11/03/2024 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2 श्रेणी।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन-10,000 घनमीटर एवं एम सेण्ड-10,000 घनमीटर /वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 277 दिनांक 17/04/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 1 खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 363/खनिज/2024 दिनांक 18/04/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक- 277 दिनांक 17/04/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी कोई अंतर्राज्य सीमा नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत पखरियापुरा के अनापत्ति पत्र क्रमांक पचा. 03/ दिनांक 27.12.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	एम् सैंड एवं केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण -7 <ul style="list-style-type: none"> <li>● यदि पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 03</li> <li>● काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या 30</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा - एक मौसमी नाला 18 मी पूर्व दिशा में स्थित है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया कि नाले से 50 मीटर खनन कार्य नहीं किया जावेगा ।
	दक्षिण दिशा- उत्खनिपट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा में 240 मी पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है । दक्षिण-पूर्व दिशा - एक आइसोलेटेड मकान 197 मी दक्षिण-पूर्व दिशा में परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह केवल सामग्री रखने हेतु बनाया गया है एवं इसमें कोई रहवास नहीं करता है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता -स्टोन-10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड-10,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.06 लाख प्रति वर्ष ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)		
		Capital 1 <sup>st</sup> year	---	Recurri ng
A.	<u>For environment Protection</u>			
1	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	---	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 550 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	85,000	---	20,000
3	Development of approach Road (Road length approx. 200 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	1,00,000	---	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @15000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr, Soil @5000/yr	NIL	---	30,000
5	Plantation (2430 trees will be planted)			
	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary (~610no's)	91500	---	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 <sup>st</sup> year- 100 no's on evacuation route up to 200 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 1 <sup>st</sup> year- 50 no's at nearest school @Rs 150 (as fencing /boundary wall is present these	50,000  7500  83,500		20,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	places) 1 <sup>st</sup> year – 1670 no's for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)			
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	6,000	---	1,000
6.	Wire fencing (~610 m long) (@Rs 500/m)	305000	---	15000
7	PUC certification of vehicles ( 3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	---	1500
<b>Labour Welfare</b>				
8	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	80,000	---	10,000
9.	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	---	5,000
10.	Occupational health checkup for 14 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	---	16000
11.	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc .8x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	18,000	---	4,000
12	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000		10,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000		2,000
<b>Solid Waste Management</b>				
14.	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000		2,000
	b) Pit and Composting	3,000		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	c) Transport of Dry Waste	4,000		
	Other			
15.	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	30,000		
	Total	9,21,500		2,06,500
		921,500		

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माहमें पूर्ण किये जाये :-

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	ग्राम राजपुरा के शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 06 माह के भीतर राजपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जावेगी	1,00,000/-
	<b>योग</b>	<b>1,00,000/-</b>

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, सफेदसिरिस करंज , सीताफल, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	610

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
3	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	1670
4	शासकीय माध्यमिक विध्यालय पाखरियापूरा परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**10. Case No P2/865/24 IQUBAL SHAIKH, OWNER, Ward no 8 Purana thana road Tehsil & District Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.97 ha. (18,277 cum per annum) (Khasra No. 278/1, 278/2, 280, 281, 103/3, 103/4, 276) Village Gangerua, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.). B-2 DEIAA-Re-appraisal.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

IQUBAL SHAIKH, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, AGS Environmental Services Pvt. Ltd., delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Iqbal Sheikh W/o Moh. Faruq Sheikh Resi – Balaghat, Distt – Balaghat (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	278/1, 278/2, 280, 281, 103/3, 103/4, 276 ( निजी – भूमि )	2.97 hectare.	
स्थल	Village –Gangerua, Tehsil –Seoni, District - Seoni		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 1092 दिनांक 06/02/2020 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 13/04/2017, क्षमता– पत्थर 18,277 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी– 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– गंगेरूआ दिनांक– 08/03/2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 1487 दिनांक 22/11/2017 के द्वारा पत्थर–18,277 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर 18,277 घनमीटर/वर्ष है ।		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 585 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.97 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 585 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1585/1585-A दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गंगेरूआ जिला सिवनी ठहराव प्रस्ताव क्र. 11 दिनांक 30/12/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र के बाहर क्रेशर स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं। क्रेशर प्लांट के पास में लगभग 70 पेड़ पूर्व से लगें हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- मानव रहवासी क्षेत्र उत्तर पूर्व में लगभग 430 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उत्तर पूर्व में 60 मीटर में नहर है जिससे 140 मीटर का सेटबैक दिया गया है।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	<p>दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 142 मीटर एवं 167 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 58 मीटर एवं 33 मीटर का सेटबेक पक्का रोड होने से दिया गया है। एवं सेटबेक एरिया छोड़ने के बाद माईनेबल एरिया 1.20 हे. हैं एवं नो माईनिंग एरिया 1.77 हे. है। <math>1.20 \text{ हे} \times 10,000 \times 12 \text{ m} = 1,44,000/18277</math> = 7.8 Year Mine life उक्त खदान कि लिज अवधी 2020 से 2030 तक है जिसमें बचे हुए शेष 6 वर्ष में उत्खनन संभव है।</p> <p>पश्चिम दिशा— मानव रहवासी क्षेत्र लगभग 390 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	23/04/2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वर्तमान में 50 नये पौधे लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 20% पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	पिट खनन योजना के अनुसार पाए गए लेकिन 7.5 मीटर में 10% पूर्व में भूल वश खुआई हुई जिसे पूर्णभरण कर पोधारोपण किया जाएगा।
पोधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में वर्तमान में 50 नये पौधे लगाये गये हैं। एवं .. 300.... पेड़ बांटे गये। जिसमें से बेरियर जोन में पर 50 नये पेड़ लगाये गये हैं। एवं क्रेशर प्लांट के पास में लगभग 70 पेड़ पूर्व से लगे हैं

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम में वृक्षा रोपण सडक निर्माण एवं पार्क में वृक्षा रोपण करने से संबंधी प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत कियें ।
--	--

Set back के संबंध में –"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority concerning year-wise production."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर स्टोन खदान 18,277 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.38 लाख प्रति वर्ष

### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	55,530	-
1(b)	Water requirement- 1.234 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (240 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 200/plant.	800 plants × 150 <b>Rs=1,20,000/-</b>	15,000
	b) <b>Plantation No mining Zone</b> @ Rs. 200/plant.	400 plants × 150 Rs= <b>60,000/-</b>	
	c) <b>Plants to be distributed in nearby villagers</b> :@ Rs. 50/plant.	2400 plants × 50 <b>Rs=1,20,000/-</b>	
	d) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.300/plant	400 plants × 250 <b>Rs=1,00,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>1,290 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	1,00,185	5,000
5	Wire fence ( <b>1,285m</b> ) @200 rupees/meter.	2,57,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20 × 500 × 2)	-	20,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20 workers - 20 × 1500 )	30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1000 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	100000	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,50,000	15000
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34,715 /-</b>	<b>1,38,000/-</b>

**CER Table**

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी। स्कूल कि क्षत पर 70,000 का सोलर पैनल लगाया जाएगा।	<b>1,40,000/-</b>

**Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **3600** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	900
2	नो माईनिंग जोन	आम, अमरूद, जामुन, कटहल,	400

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

		मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2250
<b>योग</b>			<b>4000</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**11. Case No P2/868/24 Shri MAHESH PATEL, LEESSEE, House no. 174, VILLAGE RANIPURA, POST DUMRA, LALPUR ROAD, CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.185 ha. (25,002 cum per annum) (Khasra No. 389, 390) Village – Kishunpura, Tehsil – Rajnagar & District – Chhartarpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/470317/2024**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री महेश कुमार पटेल आ. श्री बाबूलाल पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

<b>परियोजना विवरण</b>	<b>परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज</b>
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री महेश कुमार पटेल आ. श्री बाबूलाल पटेल म.नं. 174, ग्राम – रानीपुरा, तहसील – राजनगर, जिला-छतरपुर (म.)

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	389, 390 (शासकीय – नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत – पत्थर	3.185 हे.
स्थल	ग्राम –किशुनपुरा, तहसील –राजनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 6868/खनिज/उ.प./न.क्र.17/2022, दिनांक 07/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,002 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 25,002 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाछतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 15/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 15/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 15/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत किशुनपुरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 02/10/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुल 4 वृक्ष जिनमें से 3 वृक्ष काटे जायेंगे जिनके स्थान पर 30 अतिरिक्त वृक्ष स्थानीय प्रजाति या नीम के लगाये जायेंगे ।	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– रोड 300 मी. ।	
	दक्षिण दिशा–नहीं हैं ।	
	पूर्व दिशा–आबादी 335 मी. पर हैं ।	
	पश्चिम दिशा–नाला 105 मी. पर हैं ।	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक-748/खनिज/2024 दिनांक 19/04/2024 के अनुसार यह खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जाएगा
---	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

12. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 25,002 मी.<sup>3</sup>
13. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18,44,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,49,000/- प्रति वर्ष ।

Sr. No	Particular	Capital Cost in Rupees	Recurring Cost in Rupees
1.	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
2.	Cost of water of 4000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,80,000
3.	Garland Drain is proposed(1220m x 2m x 1.5m) And three Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
4	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 1220	2,44,000	5,000
5	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 2750 x Rs.200	6,50,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1000X Rs. 50)		
6.	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm	2,50,000	10,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

6.	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7.	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8.	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9.	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	20,000
10.	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11.	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12.	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13.	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14.	Half yearly PUC certification for 5 trucks @1000/truck	-	5000
15.	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
16.	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine ) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17.	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	10,000
18.	For reduction of carbon emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
	<b>Total</b>	<b>18,44,000</b>	<b>3,49,000</b>

14. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल किशुनपुरामें अधोसंरचना विकास हेतुराशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 / -

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3850 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2750
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, अमलतास, चिरोल, नीम, पीपल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**12. Case No P2/846/24 Nidhi Bukhariya, Lease Owner, R/o- 12/377, Near Bukhariya Computers, Kotwali Pradhanpura, District Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (M-sand-70000 cum per annum) (Khasra No. 31/1 ) Village-vijaypur, Tehsil-Mohangarh, District-Tikamgarh, (M.P.) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती निधि बुखारिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nidhi Bukhariya, Lease Owner, R/o- 12/377, Near Bukhariya Computers, Kotwali Pradhanpura, District Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31/1(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

स्थल	Village-vijaypur, Tehsil-Mohangarh, District-Tikamgarh, (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1858 दिनांक 22/07/21 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता M-sand-70000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता M-sand-70000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4465 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.600 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4465 दिनांक 13/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4465 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में धुराई नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मड़खेड़ा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 06/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4465 दिनांक 13/02/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समारोहोत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**13. Case No P2/847/24 Shri Pushpraj Singh, Partner, M/s MALAY NIRMAN COMPANY, R/o- Ward no. 12, Shashtri Nagar, Behind Colectret, Kotaha, Sidhi Gopadbanas, MadhyaPradesh - 486661 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.990 ha. (45600 cum per annum) (Khasra No. 423/4/2/3, 423/4/2/4 & 423/4/2/5) Village-Jadakud, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (M.P.).**  
**TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28. 05.2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Pushpraj Singh** श्रीमती निधि बुखारिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pushpraj Singh, Partner, M/s MALAY NIRMAN COMPANY, R/o- Ward no. 12, Shashtri Nagar, Behind Colectret, Kotaha, Sidhi Gopadbanas, Madhya Pradesh - 486661	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	423/4/2/3, 423/4/2/4 & 423/4/2/5 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	3.990 hectare.
स्थल	Village-Jadakud, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 12257-60 दिनांक 14/09/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-45600घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-45600 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3498 दिनांक 08/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.474 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3498 दिनांक 08/11/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र से लगभग 4.212 कि.मी.	



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

	की परिधि में बगदरा अभ्यारण सीधी मौके पर स्थित है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित नहीं है एवं कमिश्नर रीवा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाले भूमियों को खनि रियायत की बैठक दिनांक 11/07/2023 को सर्वसम्मति से वनसीमा से 119 मीटर दूरी छोड़कर नियमानुसार उपलब्ध क्षेत्र पर वनसीमा की ओर वृक्षारोपण करने तथा चैनलिंग फेंसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य कराये जाने के उपरांत उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही के छायाचित्र एवं मौका पंचनाला संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3498 दिनांक 08/11/23 अनुसार 300 मीटर पर अंतर्राज्जीय सीमा, 500 मीटर पर मानव बसाहट एवं 400 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जड़कुड जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3499 दिनांक 08/11/23 अनुसार उक्त खदान को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**14. Case No 9279/22 Shri Pratyush Chhabra, Proprietor M/s SHREE SAND MAKERS AND SUPPLIERS, B 62, Vaishali Nagar, Damoh, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.4 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 63) Village- Jujharpura, tehsil- Buxwaha, district- Chhatarpur (M.P.).**

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **28/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स श्री सैंड मेकर्स एंड सप्लायर्स प्रोपराइटर श्री प्रत्यूष कुमार छाबड़ा** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स श्री सैंड मेकर्स एंड सप्लायर्स प्रोपराइटर श्री प्रत्यूष कुमार छाबड़ा, निवासी बी-62, वैशाली नगर, दमोह, जिला- दमोह, मध्य प्रदेश, पिन कोड- 470661
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	63 (Govt. Land-नॉनफॉरेस्ट लैंड) नोइयत-पहाड़, क्षेत्रफल-1.40 ha
स्थल	VILLAGE- JUJHARPURA, TEHSIL- BUXWAHA, DISTRICT - CHHATARPUR AND STATE-MADHYA PRADESH.
लीजस्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश 29-ए "खनिज भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल, जिला भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक <b>क.6526/खनिज/न० क्र० 44/उ०५०/2021 भोपाल</b> दिनांक <b>10/05/2022</b> के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लैस्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- <b>40,000</b> घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- <b>40,000</b> घनमीटर/वर्ष)
टॉर	ToR Recommended in 590 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 26/08/2022. <b>TOR Letter no. 1557/SEIAA/2022, dated 09/09/2022</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला <b>छतरपुर</b> के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक <b>क 1305/खनिज/2022 छतरपुर</b> दिनांक <b>26/05/2022</b> अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 8 अन्य खदान जिसका रकबा 12.364 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला <b>छतरपुर</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक <b>1305/खनिज/2022 छतरपुर</b> दिनांक <b>26/05/2022</b> अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला <b>छतरपुर</b> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक <b>1305/खनिज/2022 छतरपुर</b> दिनांक <b>26/05/2022</b> अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत <b>कैरवारा</b> के <b>ग्राम जुझारपुरा</b> जिला <b>छतरपुर</b> के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 39. दिनांक <b>26/02/2021</b> अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावितस्थलपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-लीज क्षेत्र में पेड़ नहीं लगे हैं ।</li> </ul>

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्व दिशा में एन एच-34 पक्का रोड-320 मीटर की दूरी पर</li> <li>उत्तर पश्चिम दिशा में बक्सवाहा तालाब 310 मीटर की दूरी पर</li> </ul>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के नये स्वीकृत खननपट्टे की सूची के क्रम संख्या पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियाँ पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- पत्थर-**40,000** घनमीटर/वर्ष परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
2. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 12.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.53 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2000 ltr.@0.15 Rs. /Liter for 300 days)	---	90,000
2	Garland Drain is proposed with size (216 x1.5x1.5) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5 2. Settling tank is 15m x 04m x 1.5	1,20,000	12000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (150m X 5m) @300/sqm	225,000	22,500
4	Plantation in 7.5m barrier zone @ Rs. 200/plant. [540 x Rs.200= 1,08,000] Plantation in village and school @ Rs. 50/plant. [1140x Rs.50= 57,000] Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. [50x Rs. 500= 25,000]	190,000	19,000
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs.	NIL	1,50,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	75,000 for two locations/year		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 30 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	30,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 30+2=32 (2Extra) workers @ Rs. 1500/worker	48,000	4,800
11	Shelter rooms for labors (30*10) =300 Square feet @Rs.800/square ft.	2,40,000	24,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Yearly PUC certification for 09 trucks @1000/truck	NIL	18,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5000
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
16	Barbed fencing for 540 m @ 300/meter	1,64,000	1,640
17	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) crusher is proposed within the lease (@ Rs. 300/m)	Crusher is not proposed within lease area	
18	VT Trainings for 30 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	Nil	15,000
19	LED bulb distribution for carbon footprint	35000	
	<b>Total</b>	<b>12,09,000/-</b>	<b>453,940/-</b>

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मदमेंप्रस्तावितगतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम जुझारपुरा के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा।	70,000 /-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1730 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, बरगद, जंगल जलेबी, खमेर, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	540
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतमऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	जुझारपुरा गांव के घरों में पौधे वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, जामुन, सीताफल एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1115
4	ग्रामपंचायतकैरवाराकेशासकीय विद्यालय।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहरइत्यादि।	25
5	चारागाह के विकासहेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है।	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**15. Case No 10899/2023 Shri Ashutosh Temle, General Manager, M P STATE MINING CORPORATION, Block No. 1(A), Second Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomit Mine in an area of 2.52 ha. (Dolomite- 104357 TPA, mine waste- 11594 TPA & soil- 19222 TPA) (Khasra No. 830) Village Mugdara Tehsil Nainpur District Mandla (M.P.). EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विएटिव इनवायरो सर्विससे, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ashutosh Temle, General Manager, M P. STATE MINING CORPORATION, Block No. 1(A), Second Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	830 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.52 hectare.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

स्थल	Village Mugdara Tehsil Nainpur District Mandla (M.P.).
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 06/02/2022.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	सिया ने SIA/MP/MIN/424777/2023 Date 08-12-2023 के द्वारा स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite- 104357 TPA, mine waste- 11594 TPA & soil- 19222 TPA घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite- 104357 TPA, mine waste- 11594 TPA & soil- 19222 TPA घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.66 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 03/07/23 में उल्लेखित वन मण्डलाधिकारी, मण्डला के पत्र दिनांक 26/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में कोई अभ्यारण्य नहीं है परंतु नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित है । वन मण्डलाधिकारी वन मण्डला के पत्र दिनांक 26/05/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र स्थित है, आवेदित क्षेत्र वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ.-702 से 60 मीटर की दूरी पर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-31 दिनांक 16/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावि स्थल की	उत्तर दिशा-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा—
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—41 के सरल क्रमांक—43 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

During presentation PP submitted the the subject lease was granted to MP state Mining Corporation and proposed for Dolomite mining . The proposed project is an opencast and fully mechanized mining project, where mining of Dolomite will be done through drilling, blasting/ rock breaker , Jack hamer etc

During the presentation , an old pit has been observed, and it was submitted by PP that The lease was granted in year 1996 and it is valid from 07.12.1996 to 06.12.2046. It was in operational till 2006 and thereafter it was closed till date . The PP has submitted the production certificate from 07.12.21996 issued by department of mining vide no Khanij 01/2023/1526 dated 22.09.2023. Since lease area was less than 05 hact , EC has not been applicable till 2014. Now PP has applied for environment clearance under light of order of NGT for regularization . hence it is not case of violation.

A road has been observed at 50 mtrs away from the lease . PP will use rock breaker for mining wherever required and the same has been mentioned in mining plan also ( page no 23). Set back area shall be left as per requirement of 100 mtrs . However PP submitted that as per MMDR act, lessees need to leave 45 mtrs set back from the any public place/road, rail wayline, etc . Further it is mentioned that forest is located at 60 mtrs from the lease area for which NOC is not required from office of the commissioner as the lease was sanctioned prior to year 2002 as per ekal prampatra issued vide no khanij 01/2023/1155 dated 03.07.2023. In this regard, forest department of Govt of MP has already issued letter vide no F-5-%/2010/10-3 dated 04.01.2012 and policy decision has

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

been taken by SEIAA in its 77th meeting dated 07.01.2012 that in such case where lease has been granted before 2002, the new NOC is not required .

No tree felling or cutting is proposed for the subject proposal . 02 garland drain and one settling tank is for the proposed operation . Presently 1.30 hact of land is excavated which will be increased to 1.9725 hact till conceptual period. As post land use plan, 0.2 hact of the area will be backfilled and 1.25 hact of area shall be converted into water body. At the same time Total 0.92 hact area will be converted as green belt with 1840 number of plants.

The presentation and other document placed before the committee and was found satisfactory and acceptable to the committee. The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for **grant of Prior EC for Excavation of Dolomite Deposit (ROM production 135873 Ton per annum. (Dolomite – 104357 TPA, Mine waste – 11594 TPA & Lateritic Soil – 19222 TPA)) (Area: 2.52 ha.) (Khasra No. Khasra No. 830, Village- Mugdara, Tehsil- Nainpur, Distt.- Mandla (MP))** of M/s MP State Mining Corporation Bhopal subject to the following special conditions:

**(A) PRE-MINING PHASE**

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
6. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
7. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca road and shall be constructed prior to operation of mine.



8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

**(B) MINING OPERATIONAL PHASE**

10. Muffle with NONEL system for Blasting shall be adopted for proposed mining and no secondary blasting shall be done. Rock breaker shall be used wherever required
11. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
12. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be preferred in comparison of solid cartridge.
13. No explosive will be stored at the mine site.
14. No dump shall be stacked outside the lease area.
15. Mechanized sprinklers shall be provided in mine.
16. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection.
17. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 2040 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area, and along the road also.

**Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>Phase</b>	<b>Location</b>	<b>Name of Tree</b>	<b>No. of Plants</b>
1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> Year	In barrier zone (4000sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	800
1st and 2nd Year	Non Mining zone ( Set Back areof 0.2 hact)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	200
3rd year to CP	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, White Kastar and other local species	1040
		<b>Total</b>	<b>2040</b>
1st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000

18. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
19. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
20. The OB shall be reutilized for maintenance of road and for back filling . PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
21. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Apart from existing drain and settling tank , four more drain is proposed having dimension of 191X 1.0 X 1.0, 180X 1.0 X 1.0, and one settling tank having size of 330Sqm x 5m depth are proposed

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

22. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
23. For dust suppression mechanized sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
24. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Items	At present	At the end of lease period
Total area excavated	1.30 ha	1.9725 ha
Area fully mined out	-	1.9725 ha
Area under dumps	0.133ha	-
Area fully reclaimed	-	0.52 ha
Area under Road	0.05ha	-
Green belt	Nil	0.40ha
Area rehabilitated Afforestation , agri use, hutment	-	0.52 ha
Area rehabilitated by water Harvesting	-	1.25 ha

25. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social upliftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
26. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

27. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
28. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
29. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

**(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

30. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 9.16 Lakh is proposed and Rs.6.52 Lakh /year as recurring expenses.

	<b>Total Cost (EMP + plantation + Monitoring )</b>	
<b>Particular</b>	<b>Amount (Lakh) per annum - Capital</b>	<b>Amount (Lakh) per annum - Recurring</b>
Dust Suppression through tanker over 70m road * 6.0m (30 Rs/km inclusive diesel exp, driver exp and maintenance) Approx running per day km 6.72@300 day (over road) = 2016km	-	0.61
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.61</b>
Maintenance of Plantation 1840 (lease area) @ Rs 45/- per plant	-	0.83
Plantation (Capital cost) within lease area 1840no @140/-	2.58	-
Distribution of plantation at village 1000@50	0.50	-
<b>Sub Total</b>	<b>3.08</b>	<b>0.83</b>
Roads repair and maintenance (0.100km X 6.0mW@2.0 lakh per Km)	-	0.20
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.20</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles) for 31labours@1500	-	0.47
Half yearly Medical Checkup facility, first aid and other welfare activities for 31labours@1000	-	0.31
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @2no @ 2000/-, Caution board,	0.04	0.01
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.79</b>
MSW Waste Management 04 no. dusts bin capacity @2kg each @1000.00	0.04	0.10
<b>Sub Total</b>	<b>0.04</b>	<b>0.10</b>
Environmental Monitoring cost	6.00	3.98
<b>Sub Total</b>	<b>6.00</b>	<b>3.98</b>
PUC Certification of vehicles 2@500 per vehicles	-	0.01
<b>Sub Total</b>	-	<b>0.01</b>
<b>Grand Total</b>	<b>9.16</b>	<b>6.52</b>

31. As per office memorandum vide no 22-65/2017/IA-III dated 30.09.2020, no financial budget under CER is being proposed. The commitment to address the concern raised during the public hearing issues with physical target shall be complied as below :

<b>PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY</b>					
<b>SN</b>	<b>Plan</b>	<b>Area of Activity</b>	<b>Budgetary provisions (Rs in lacs)</b>		
			<b>1<sup>st</sup> year</b>	<b>2<sup>nd</sup> year</b>	<b>3<sup>rd</sup> year</b>
1	Fund for development of Eco Vikas Samiti	Kanha National Park	2.50		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2	Infrastructure development at School	Village- Mugdhara	-	2.50	-
	<b>Total</b>			<b>5.00Lacs</b>	

32. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

33. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**16. Case No 10134/2023 Shri Hameer Singh Patel, President, Khadan Udhoyog Sahkari Sanstha Marya. Jiwajiganj Morena, Tehsil - Morena District - Morena (M.P.) 476001. Prior Environment Clearance for Kheriya Chunheti Crusher Stone Deposit Khasra No.- 01, an Area of 2.500 Ha. in Village- Kheriya Chuneheti, Tehsil- Bamor, Morena Hal , District- Morena, (M.P.). with Production: Stone – 28,500 M3/ Year. EIA Case.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना प्रेसीडेंट—श्री हमीर सिंह पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना प्रेसीडेंट (अध्यक्ष)—श्री हमीर सिंह पटेल पता—जीवाजीगंज, मुरैना तहसील व जिला— मुरैना (म.प्र.)
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं.—01, क्षेत्रफल –2.50 ha (सरकारी भूमि नॉन फॉरेस्ट लैंड) नौइयत—पहाड़
स्थल	VILLAGE- KHERIYA CHUNHETI, TEHSIL- BAMOR, DISTRICT- MORENA AND STATE- MADHYA PRADESH.

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- मुरैना (म.प्र.) के पत्र क्रमांक- 3-6/ खनिज/क्यू. एल./06/2021/1033, मुरैना दिनांक 16 /08/2021 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 28,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 28,500 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 665 <sup>th</sup> SEAC Meeting dated 03/08/2023. <b>TOR Letter no. 1272/SEIAA/2023, dated 12/09/2023</b>
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- मुरैना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/खनिज/क्यू. एल./71/21/436, मुरैना, दिनांक-17/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 5 अन्य खदान जिसका रकबा 13.75 हेक्टेयर है कुल रकबा 16.25 हेक्टेयर है ।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- मुरैना (म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/खनिज/क्यू. एल./71/21/436, मुरैना, दिनांक-17 /04/2023 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- मुरैना (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/खनिज/क्यू. एल./71/21/436, मुरैना, दिनांक-17 /04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रोंजैसे: रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायत टीकरी जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/01/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	आवंटित पट्टा क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 152 मीटर पर दक्षिण दिशा में पक्का रोड 389 मीटर पर दक्षिण दिशा में आबादी रोड 375 मीटर पर पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 26 मीटर पर । 24 मीटर का सेटबैक देते हुए पुररिक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावित खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-67 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांकक्यू एल 3/khanij/2024 मुरैना दिनांक 22/03/2024 अनुसार kml (based on DGPS coordinates) प्रस्तुत किया गया ।

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-28,500 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशरप्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.88 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 1500 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days)	NIL	67,500
2	Garland Drain is proposed (456m x 1.5m x 1.5m) 2. Settling tank is 15m x 04m x 02m (02 Nos.) 3. Settling tank is 10m x 04m x 02m (01 Nos.)	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (100m X 5m) @500/sqm	2,50,000	25,000
4	Plantation in Barrier Zone @ Rs. 200/Plant. Total 1000 Saplings- <b>1000 x Rs.200= 2,00,000/-</b> Plantation in Approach Road @ Rs. 500/ Plant. Total 50 Saplings- <b>50 X Rs. 500=25,000/-</b> Plantation in Village & School area @ Rs. 50/Plant. Total 1950 Saplings- <b>1950 X Rs. 50= 97,500/-</b>	3,22,500	32,250
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 08 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	8,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 08 workers+ (2 Extra) =10 @ Rs. 1500/worker	15,000	1,500
11	Shelter rooms for labors (8*10) =80 Square feet @Rs.800/square ft.	64,000	6,400
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

13	Half yearly PUC certification for 02 trucks @1000/truck	NIL	4,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
15	Miscellaneous Expenses such as for two solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 930m @ 300/meter	2,79,000	2,790
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed at mine site	
17	Vocational Training for 08 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	4,000
18	Distribution of LED bulb to reduction of carbon emission.	50,000	
	<b>Total</b>	<b>13,67,500/-</b>	<b>388,440/-</b>

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
बच्चों की शिक्षा के लिए खेरिया चुन्हेटीके प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	40,000 /-
खेरिया चुन्हेटी गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा।	30,000 /-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में शासकीय भूमि , और गैर खनन क्षेत्र	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, करंज, सीताफल, खमेर, चिरौल, गुग्गल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	शीशम, नीम, अमलतास, जामुन, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	खेरिया चुन्हेटी, उरहना, खारिका, करगवां और जिरैना ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रुद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि।	1925
4	शासकीय विद्यालय खेरिया चुन्हेटीमें	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	25

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशांसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशांसा की जाती है।

**17. Case No P2/844/2024 Shri RAJENDRA BAIS, Lessee, R/o- Bagicha No.13, City Road Neemuch, District- Neemuch, State- Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 538/1 Min-2) Village NARAYANGARH Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.).TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAIS, Lessee, R/o- Bagicha No.13, City Road Neemuch, District- Neemuch, State- Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	538/1 Min-2(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village NARAYANGARH Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8140-43 दिनांक 27/06/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 381 दिनांक 06/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

की अनापत्ति	क्रमांक 381 दिनांक 06/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 381 दिनांक 06/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर परिषद् नारायणगढ़ के पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 21/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 381 दिनांक 06/03/24 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**18. Case No P2/877/2024 Shri Virendra Raghuvanshi, Lessee, Village Dhamnar Tehsil Guna District Guna (MP) 473001, Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone mine for making Gitti Area - 2.0 ha with a Production Capacity of 10,000 Cubic Meter / Year., Khasra no. - 63, Village - Piproda Khurd, Tehsil- Guna, Distt-Guna(M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA.**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति कए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 28/05 /2024 को परियोजना प्रस्तावकके पर्यावरणीय सलाहकार

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

श्री मुकेश कावरे, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.)ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Virendra Raghuvanshi, Lessee, Village Dhamnar Tehsil Guna District Guna (MP) 473001, Prior Environment Clearance for Piproda Khurd Stone mine for making Gitti Area - 2.0 ha with a Production Capacity of 10,000 Cubic Meter / Year., Khasra no. - 63, Village - Piproda Khurd, Tehsil- Guna, Distt- Guna(M.P.). SIA/MP/MIN/470825/2024.
परियोजना का खसरा नं./ लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. -63, एरिया - 2.00 ha., शासकीय भूमि
Intimation ID	46/18/406/2018/707046
परियोजना स्थल	Village -Piproda khurd, Tehsil &, Distt. Guna (M.P.).
Description of Project	Piproda Khurd Stone mine for making Gitti is located at Khasra No.- 63, Village -Piproda khurd, Tehsil &, Distt. Guna (M.P.). The total lease area of the mine is 2.0 ha.
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -गुना के पत्र क्र०. 3318 दिनांक 24/04/2018.
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.
टॉर स्थिति	प्रस्तावित।
खनन कार्य ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	Control Blasting.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Guna vide letter no. 46 dated 12/03/2018. Capacity - 9,990M <sup>3</sup> /Year.
उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Stone (Gitti) - 10,000 m <sup>3</sup> /Year,
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 598 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 28.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 598 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 598 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ 250 मी. की दूरी पर नाला है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – पिपरोदा खुर्द, जिला –गुना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 04/04/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैधता	Consent issued date:10/10/2023, Valid up to 31-05-2025.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्र0. -09 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**19.Case No P2/845/2024 Shri KULDEEP CHOUDHARY, Lessee, village Khandwa Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19,000 cum per annum) (Khasra No. 162,166/05/1) Village Kalyansi Khedi Tehsil Dhar District Dhar (M.P.). B-2 (DEIAA- Re-appraisal)**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri KULDEEP CHOUDHARY, Lessee, village Khandwa Tehsil Pithampur District Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	162,166/05/1(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Kalyansi Khedi Tehsil Dhar District Dhar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 2707 दिनांक 02/09/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal	
डिया ई.सी. का	डिया धार के पत्र क्रमांक 119 दिनांक 06/04/17 के द्वारा पत्थर-19,000	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

विवरण (यदि लागू हो)	घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-19,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 07/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2327 दिनांक 07/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खंडवा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/08/11 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

**20. Case No P2/878/2024 Shri Arpit Jain, Partner, M/s Sunrise And Solutions, Flat No 102, Subhadra Flake Apartment Chetakpuri, Gwalior (MP) 474009, Prior Environment Clearance for CHIRPURA STONE & M- SAND QUARRY for making**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**M- Sand - 71,250 M3/Year & Stone- 3,750 M3/Year, Lease Area- 2.200 Ha., Khasra no. - 204, 205, Village - Chirpura, Tehsil – Dabra, Gwalior (M.P.). B2 Case.**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pratap Singh Tomar S/o Late Shri Hakim Singh Tomar R/o-A 1/8 Vinay Nagar Sector- 4, District- Gwalior (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (शासकीय – भूमि )	2.20 hectare.	
स्थल	Village – Magroni, Tehsil – Bairad, District - Shivpuri (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 437 दिनांक 11/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 05/04/2024, क्षमता- पत्थर 35,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम- टोंगरा दिनांक- 12/03/2024		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	क्षमता— पत्थर 35,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 516 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 516 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 12/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मगरौनी जिला शिवपुरी ठहराव प्रस्ताव क्र. 04 दिनांक 09/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ काटा नहीं जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – उत्तर पूर्व पक्का रोड़ लगभग 407 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 157 मीटर की दूरी पर स्थित है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27/04/2024



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि कशर, एम सेन्ड प्लांट लीज एरिया के अन्दर है । दक्षिण दिशा में 52 मीटर पर केनल है अतः 42 मीटर सेटबैक दिया गया है । पूर्व दिशा में 60 मीटर दूरी पर नहर एवं 38 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ है अतः 16 मीटर सेटबैक दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 35,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.49. लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.48 लाख प्रति वर्ष

**7. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	76,410	-
1(b)	Water requirement- 1.698 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (440 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 <b>Rs=2,40,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 <b>Rs=1,50,000/-</b>	
	c ) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants × 300 <b>Rs=1,50,000/-</b>	
		5,40,000	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>774 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	1,00,185	5,000
5	Wire fence ( <b>769 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,53,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25× 500 × 2 )	-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500 )	37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at mine entrance.</li> </ol>	22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1000 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,00,000	
18	Crushse Equipments for Dust control	1,50,000	15000
19	For create Grass land development	50,000	5000
	<b>TOTAL</b>	<b>15,49,895 /-</b>	<b>1,48,000/-</b>

**8. CER Table**

16. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम मगरौनी में छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा एवं 30,000 रु के एल ई डी बल्ब बाटे जाएगे।	<b>1,00,000/-</b>

**9. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **4700** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3000
<b>योग</b>			<b>4700</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**21. Case No P2/876/2024 Shri Pratap Singh Tomar, Lessee, H No. 1851/8 N Vinay Nagar, Gird, PO. S.p. Ashram, District - Gwalior, M.P - 474012, Prior Environment Clearance for Magroni Crusher Stone Quarry for Production Capacity of Stone - 35,000 m<sup>3</sup>/year, having a lease area of 3.90 hectare, at Khasra No. - 2 (Govt. land) Village - Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri (M.P.). B2**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह तोमर पुत्र स्वं श्री हाकिम सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इंडिया एंटरप्राइजेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pratap Singh Tomar S/o Late Shri Hakim Singh Tomar R/o-A 1/8 Vinay Nagar Sector- 4, District- Gwalior (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (शासकीय - भूमि )	3.90 hectare.
स्थल	Village - Magroni, Tehsil - Bairad, District - Shivpuri (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 437 दिनांक 11/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 05/04/2024, क्षमता- पत्थर 35,000 घनमीटर/वर्ष,	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।	
पर्यावरण सलाहकार	पर्यावरण सलाहकार - नीरज प्रजापती,	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम- टोंगरा दिनांक- 12/03/2024
उत्पादन क्षमता	क्षमता- पत्थर 35,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 516 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 516 दिनांक 28/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 447 दिनांक 12/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मगरौनी जिला शिवपुरी ठहराव प्रस्ताव क्र. 04 दिनांक 09/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - उत्तर पूर्व पक्का रोड़ लगभग 407 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व दिशा- कच्चा रोड लगभग 157 मीटर की दूरी पर स्थित है।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	27 / 04 / 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 35,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेजर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेजर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.49. लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.48 लाख प्रति वर्ष

**10.EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	76,410	-
1(b)	Water requirement- 1.698 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (440 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	b) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 <b>Rs=2,40,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 <b>Rs=1,50,000/-</b>	
	c ) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants × 300 <b>Rs=1,50,000/-</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>774 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> </ul>	1,00,185	5,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .		
5	Wire fence (769 m) @200 rupees/meter.	1,53,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25× 500 × 2 )	-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500 )	37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b> 5. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 6. Web site development & Maintenance 7. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 8. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (1000 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)	1,00,000	
18	Crushse Equipments for Dust control	1,50,000	15000
19	For create Grass land development	50,000	5000
	<b>TOTAL</b>	<b>15,49,895 /-</b>	<b>1,48,000/-</b>

**11.CER Table**

17. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम मगरौनी में छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा एवं 30,000 रू के एल ई डी बल्ब बाटे जाएंगे।	<b>1,00,000/-</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

--	--

**12.Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **4700** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000
<b>योग</b>			<b>4700</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**22.Case No P2/873/2024 Shri NITIN AGRAWAL, Owner, NEAR OLD STATE BANK, CIVIL LINES, MANDLA (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 1.81 ha. (17,220 TPA) (Khasra No. 450,452,457 ) Village Kata Mal.Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.). B-2 DEIAA- Re-appraisal**



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावित पत्थरखदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 28.05.24को परियोजना प्रस्तावकश्री नितिन कुमार अग्रवाल, Onlineएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुरशर्माउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नितिन कुमार अग्रवाल निवासी सिविल लाइन्स, मंडला जिला मंडला (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी भूमि	1.81 hectare
स्थल	ग्रामकाटामाल तहबिछिया जिलामंडला(म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के पत्र क्रमांक 1619दिनांक 22.01.2016के द्वारा दिनांक 18.01.1997 से 17.01.2047 तकनवीनीकरण होकरस्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिन्दवाड़ाके पत्र क्रमांक 59 दिनांक 17.08.2016के द्वारा पत्थर-17220टन /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 17220 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 17220टन /वर्षहै ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडलाके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1292 दिनांक 03.08.2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.23हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडलाके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1292 दिनांक 03.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडलाके एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1292 दिनांक 03.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरबसपुर जिला मंडला के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा-250 मी. पक्की सड़क
	पूर्व दिशा- <b>220</b> मी. गाँव
	पश्चिम दिशा-420 मी बंजर नदी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- <b>31</b> के सरल क्रमांक- <b>14</b> पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुन मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग पूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन खुदा हुआ है ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग पूर्ण पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया किखदान क्षेत्र में लगभग .100 पेड़ लगाये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Dolomite** 17220 टन/वर्ष।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.96लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.18 लाख प्रति वर्ष।

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of 01 water tanker (4000L) @ Rs.300/Day (PP owned tanker) for 300 days – Rs. 90,000/-	-	90,000
2	Garland Drain (1.5 m wise, 2 m deep, 715m Long) 1 settling tank (4 m wide, 10 m Long, 4 m Deep)	50,000	60,000
2 ( A )	Wire Fencing Around Lease Area (715m * 500rs/m) (Completed)	3,57,50 0	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200m)	1,00,00 0	10,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 2000 x Rs.200	5,00,00 0	50,000
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 200 (200 X Rs.500)		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 5000/year for maintenance.	30,000	5,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

8	Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)	-	5000
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @21000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	42,000	2000
10	PPEs for other mining operations for 10 worker@ Rs. 1500/worker	15,000	-
11	Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet @Rs.800/square ft (Completed)	32,000	3000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	5000	2000
13	Half yearly PUC certification for 01 trucks @1000/truck	-	1000
14	Signage & Warning Boards	5,000	-
15	For reduction of the carbon emission through Installation of 1kw Solar Power System to the nearby Primary School	50,000	-
	Total	11,96,500	2,18,000

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू.लाख में)
काटामल प्राथमिक शाला में अधोसंरचना विकास हेतु राशि पालक शिक्षक संघ में जमा करवा दी जाएगी	0.50

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, करंज, महुआ, जामुन, सिस्सू, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	1900
3	गाँव में वितरण	आम, आँवला, मुनगा, जामुन	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**23. Case No P2/842/2024 Smt.. SANGITA Yadav , Owner, Anandnagar rajakhedi, Makroniya Muhal, Sagar, Madhya Pradesh – 470004 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 01 ha. (5,000 cum per annum) (Khasra No. 23) Village- Masosa, Tehsil- Sagar, District- Sagar (M.P.) B-2**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता यादव पत्नि श्री अर्जुन यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Sangeeta Yadav, W/o Shri Arjun Yadav, R/o Anand Nagar Rajakhedi Makroniya Sagar Tehsil & District- Sagar (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	23 (शासकीय – भूमि )	1.00 hectare.	
स्थल	Village – Masosa, Tehsil – Sagar, District - Sagar (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 773 दिनांक 03/05/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 12/09/2023, क्षमता– पत्थर 5,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाती नामदेव, स्थल का नाम– मासोसा दिनांक– 10/03/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– पत्थर 5,000 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन क्षेत्र, नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	है एवं खनन क्षेत्र से वन क्षेत्र 490 मीटर दूर है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13 दिनांक 03/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का कच्चा रास्ता रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मासोसा जिला सागर ठहराव प्रस्ताव क्र. 14 दिनांक 24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्रामPESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 1 पेड़ स्थित हैं जो कृषी क्षेत्र से 25 मीटर के सेटबैक में आती है। इसलिए पेड़ नहीं काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – कच्चा रोड़ लगभग 175 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृषी क्षेत्र से 25 मीटर को सेटबेक दिया गया हैं। एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 268 मीटर दूरी पर पक्का रोड स्थित है।
	पूर्व दिशा-कृषी क्षेत्र से 25 मीटर को सेटबेक दिया गया हैं।
	दक्षिण दिशा –कृषी क्षेत्र से 25 मीटर को सेटबेक दिया गया हैं।
	पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 314 मीटर की दूरी पर स्थित है। कृषी क्षेत्र से 25 मीटर को सेटबेक दिया गया हैं।
सेटबैक एरिया	सेटबैक एरिया छोड़ने के बाद माईनिंग एरिया 0.5386 हेक्टेयर हैं एवं नोन माईनिंग एरिया 0.3019 हे है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/04/2024

Set back के संबंध में –"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority concerning year-wise production."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान 5,000 घनमीटर/वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.84. लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.28 लाख प्रति वर्ष

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	26,190	-
1(b)	Water requirement- 0.582 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (180 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	300 plants × 200 <b>Rs=60,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers :@ Rs. 50/plant.	750 plants × 50 <b>Rs=37,500/-</b>	
	c ) Plantation Along the Approach Road @	150 plants × 300	
		1,42,500	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	Rs.300/plant	Rs=45,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; 399 m Long)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000	
5	Wire fence (394 m) @200 rupees/meter.	78,800	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10× 500 × 2 )	-	10,000	
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500 )	15,000	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	<p style="text-align: center;"><b>Miscellaneous Expenses such as follows :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>2. Web site development &amp; Maintenance</li> <li>3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>4. Display Board at my entrance.</li> </ol>	22,000	-	
17	Air Pollution control Equipment for Dust control	1,00,000	15000	
	<b>TOTAL</b>	<b>7,84,675 /-</b>	<b>1,28,000/-</b>	

**13.CER Table**

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मसोसा के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

**14.Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **1200** वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	750
<b>योग</b>			<b>1200</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**24.Case No 10685/2023 Shri Pawan Khatik, Partner, M/s S.S. Infra, R/o Veer Sawarkar Market, Dugar No. 5, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**for Muhal Dehar Stone Quarry in an area of 3.279 ha. (38,475 cum per year)**  
**(Khasra No. - 119), Village-Muhal Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok**  
**Nagar (M.P.). EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पूर्व मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन खटीक ऑनलाईन मीटिंग में जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स एस.एस. इंफ्रा पार्टनर – श्री पवन खटीक निवासी : सिसौदिया कॉलोनी रोड, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, जिला- गुना (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.- 119 ग्राम – मुहालढेहर, तहसील –शाढ़ौरा, जिला –अशोकनगर(म.प्र.) (सरकारी), गैर वन भूमि	3.279 Hectare.
स्थल	खसरा नं. 119 ग्राम – मुहालढेहर, तहसील –शाढ़ौरा, जिला –अशोकनगर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक -802, दिनांक 29.12.2016के द्वारा 10 वर्ष कि कालावधि के लिये स्वीकृति है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक -417, दिनांक 11.07.2019के द्वारा शेष अवधि के लिये हस्तांतरण।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रोजेक्ट	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 12/ डिया/16 दिनांक 20/12/2016 के द्वारा पत्थर-38475 घनमीटर/वर्ष पत्थर हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	सेक की 698वीं बैठक दिनांक 03/08/2023 को अनुशासित, सिया के पत्र क्रमांक 2473/SEIAA/2023 दिनांक 05/01/2024 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-38475 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-38475 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक खनिज/2023/646 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

खदानें	02अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.868हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र क्रमांक खनिज/2023/646दिनांक 06/09/2023अनुसार नेशनल पार्क एवं जैव विविधता 10 की.मी. की परिधि पर नहीं हैं एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांकखनिज/2023/646दिनांक 06/09/2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नाला इत्यादि नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर परिषद, शाढ़ौराजिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक/2016/385 दिनांक 17.5.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के अन्दर केशर प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण .00 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा में 207मीटर की दुरी पर छोटी तलैया है पूर्व दिशा में लगा हुआ हॉल रोड है उत्तर दिशा में 285मीटर के दुरी पर शेड बने हुए है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24के सरल क्रमांक-12पर दर्ज है
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक .19/04/2024 को संपन्न हुई रोजगार दिया जाये गाँव में विकास हेतु कार्य किये जाये पानी का छिड़काव किया जाये वृक्षारोपण का प्रबंध किया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता -पत्थर-38475घनमीटर/वर्ष

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.61 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	B. Hiring of water tanker (500L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 445 m Long) Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. (4Nos) All settling tanks will be of double “S” pattern.	80,000	10,000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 300 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs300/ meter	90,000	10000
4	B contributing for Widening and maintenance of the existing WBM approach Road (Road length approx. 400m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	40,000	5,000
5	A. Within Lease Area in Barrier Zone (390m) @ 150s./tree (390nos) covering the whole periphery of mine lease area	58,500	20,000
	Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of the manure for the plants)	50,000	
	1 <sup>st</sup> year- 100nos on approach road up to 260m both side (@ Rs 500/tree)	21750	
	1 <sup>st</sup> year- 145 nos. Plantation at around the temple/ Hospital/School at nearby village @Rs 150/plant	1,65,000	
6	Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 250 per cubic meter. Each tree to take approx. 0.124 cubic meter, therefore approx. 66.34 cubic meters to be utilized in the plantation 535trees	16500	-
7	Wire fence (735m long) (@Rs 500/m)	3,67,500	10,000
8	PUC certification of vehicles (05 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	2500
9	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds	10000	-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	along the bund of the garland drain & settling tank		
10	Drinking Water Facility and rest shelter (30x 15 ft.) with solar light	1,00,000	10,000
11	2 number toilet (Rs 12,500/- per toilet)	25,000	4,000
12	Occupational health checkup workers and villagers	Nil	20,000
13	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year)@ 500 x 2 x 10	-	10,000
14	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves (@2000/ per set) including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 2 workers only - for safety harness @Rs 2000 per set)	24,000	5,000
15	Wind breaking wall : Total 200m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	1,00,000	10000
<b>Extra Other Budgets</b>			
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon	30,000	-
	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	60000	-
	Contribution in cluster management plan	-	25000
	For Crusher Pollution control Equipment	1,50,000	50,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
18	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	10,000
19	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	9,000	5,000
<b>Solid Waste Management</b>			
20	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	<b>Total</b>	<b>1442250</b>	<b>261500</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि :- 1.00लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि (राशि रूपये लाख में)	
1.	आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम मुहाल ढेहर में ग्राम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 06माह के भीतर बैंक के खाते में जमा की जावेगी।
	<b>योग</b>
	<b>1,00,000/-</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3935 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	बैरियर जोन में वृक्षारोपण के अंतर्गत ( 400 मी.)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, सफेदसिरिस करंज, सीताफल, चिरोल आदि।	390
	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	100
	शासकीय माध्यमिक विद्यालय आमोद में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	45
	उच्च शासकीय माध्यमिक विद्यालय शाहडोरा में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	100
	पास के गाव के लोगो को एवं किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**25. Case No P2/867/2024 Shri NILESH PATEL, Owner, niwasi -narmada, hospital ke pass sanawad tehsil-badwah dist-Khargone (M.P.). Prior Environment Clearance for**



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**Stone in an area of 3.0 ha. (Stone - 21708 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 340/1,340/2,351/1, 338, 335, 320, 339, 337), Village- Morghadi, Tehsil- Punasa, District - Khandwa (M.P)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक Nilesh Kumar patel S/o Shri Arvindbhai patel एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (रश्मि सारस्वत) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nilesh Kumar Patel S/o Shri Arvindbhai Patel R/o – Near Narmada Hospital District – Khargaon, State: Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी 3.00 Ha.	
स्थल	Village – Morghadi, Tehsil – Punasa & District – Khandwa, (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा के पत्र क्रमांक 13686/खनिज/2015 खण्डवा दिनांक 02.11.2015 के अनुसार स्वीकृत ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नहीं	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का उत्पादन क्षमता 22,076 घनमीटर/वर्ष	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मौरघड़ी ) दिनांक - 03.03.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, खण्डवा के पत्र क्रमांक 32/DEIAA/ 2016 खण्डवा दिनांक 19.09.2016 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case ( डिया प्रकरण)
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 21,708 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1336/खनिज/2024 खण्डवा दिनांक 31.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत तीन ओर खदान है जिसका रकबा 5.00 हेक्टेर है, लेकिन तीनों की अवधि समाप्त हो गई है जिससे कुल रकबा, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1336/खनिज/2024 खण्डवा दिनांक 31.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1336/खनिज/2024 खण्डवा दिनांक 31.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मौरघड़ी जिला खण्डवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 30.10.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	लीज क्षेत्र पर क्रशर प्लांट प्रस्तावित नहीं है ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 266 मीटर दूर उत्तर दिशा में पक्की सड़क है दक्षिण दिशा – 160 मीटर दूर दक्षिण दिशा में नहर है पूर्व दिशा—400 मीटर दूर पूर्व दिशा में पक्की सड़क है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—के सरल क्रमांक—39 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	B2 Case

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान गई। स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपणकिया है ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य,	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

बजट	
-----	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककूप अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर— 21,708 घनमीटर/वर्ष है ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें ।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.33 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	50,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 1 tanker x 300 Rs./per day X 250 days	Nil	75,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 461 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	69,150	7,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 346 m , Width 6.0m) 346 m @ 500Rs./Meter	1,73,000	10,000
4	Plantation (1000 plants will be planted & 2000 Distribution in the First year)	4,50,000	30,000
5	Wire Fence 587 m x 500Rs.	2,93,500	10,000
6	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	50,000	10,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
7	For reducing Carbon Foot print Tree adaptation	1,50,000	1,50,000
<b>Labour Welfare</b>			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (11 x 15 feet)	10,000	1,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
10	Occupational health Survey 13 Labour @ 500 Rs. =6500Rs./twice per year = 13000	Nil	13,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 13 labor @ 1000 Rs.	13,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
13	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	5000
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>12,40,150</b>	<b>3,33,000</b>

**CSR Table**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

9. सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

<b>कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)</b>		
<b>S. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Cost to be incurred (in Rs/Year)</b>
1.	शासकीय प्राथमिक शाला मौरघड़ीमें 10 कुर्सिया की व्यवस्था	30,000
<b>Total</b>		<b>30,000</b>

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

<b>प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान</b>	<b>पौधोकीप्रजातियां</b>	<b>पौधोंकीसंख्या</b>
बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफेद), जंगलजलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	500
परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	1000
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**Sr. No. 26 to Case 36**

**Case No P2/937/2024,P2/938/2024 P2/939/2024, P2/940/2024, P2/941/2024,**  
**P2/942/2024, P2/943/2024, P2/944/2024, P2/945/2024, P2/946/2024, P2/947/2024**

उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रकरण क्रमांको (एजेण्डा के सरल क्रमांक 26 से 36 तक के प्रकरणों) निवाड़ी जिले के सभी खदानें आसपास ही स्थित हैं जिनको डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त सभी प्रकरण डिया से इसी प्राप्त हैं तथा इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इन 31 खदानों का क्षेत्रफल लगभग 81 हेक्टेयर हो रहा है एवं पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 25 और खदानें इसी कलस्टर में प्रस्तावित हैं जिनके दस्तावेज तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं तथा इन सभी को मिलाकर कुल क्षेत्रफल लगभग 123 हेक्टेयर का कलस्टर निर्मित होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह सभी खदाने आस-पास स्थापित हैं तथा कलस्टर में खनन कार्य किया जा रहा है जिससे खनिज परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन लोड तथा ब्लास्टिंग का इम्पेक्ट असेसमेंट स्टडी क्यूमिलिटिव रूप से की जानी चाहिये ताकि ई.आई.ए. में वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन किया जा सके तथा तदनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना लागू की जा सके। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में डिया से प्राप्त होने वाले ऐसे सभी बी-2 श्रेणी के प्रकरण जहाँ आस-पास अत्यधिक संख्या में खदाने एवं क़शर स्थापित हैं तथा उनके द्वारा खनन, ब्लास्टिंग, क़शिंग तथा परिवहन का कार्य कलस्टर में किया जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना है को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक जे-13012/12/2013-आईए-II(I) दिनांक 24/12/2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप बी-1 मानते हुये कलस्टर का टॉर जारी किया जाये जिससे खनिज परिवहन के दौरान क़शिंग, ट्रांसपोर्टेशन लोड तथा ब्लास्टिंग का क्यूमिलिटिव इम्पेक्ट असेसमेंट ई.आई.ए. में कर सम्पूर्ण कलस्टर हेतु समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना लागू की जा सके जिससे उस क्षेत्र में भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की संभावना निर्मित न हो । इस प्रक्रिया में यदि सभी खदाने एकसाथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करती हैं तो कलस्टर ईआईए बनने उनके समय की बचत भी होगी एवं सभी परियोजना प्रस्तावकों हेतु Economically Viable भी होगी। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है तथा भविष्य में इस कलस्टर में प्राप्त अन्य आवेदनों को भी इस कलस्टर का पार्ट मानते हुये समिति को अवगत कराते हुये निम्नानुसार स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है :-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजनाके अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमप्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदितमार्किंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA)ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो मार्इन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

**37.Case No. P2/154/24 BALVEER TOMAR,M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.00 Hectare, Khasra No.- 2 in Village - RAMPURGHAT, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 39230 cum per annum [ SIA/MP/MIN/476085/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो धसाननदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (सरकारी-गैर वन भूमि)	4.00 हे.
स्थल	ग्राम-रामपुरघाट, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 39,230 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 39,230 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 5.500 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1820 दिनांक 28/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1820 दिनांक 28/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-कन्डेला, ग्रामसभा-रामपुरघाट, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है।</li> <li>2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है।</li> <li>3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है।</li> <li>4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है।</li> <li>5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते हैं, मेरी जमीन पर कब्जा किया है।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के कुछ भाग में पानी भरा हुआ परिलक्षित हो रहा है, जो मार्च 2022 गूगल ईमेज के अनुसार लगभग 1.8 हे. है। अतः लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 2.2 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 39230घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -39230 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.43 लाख प्रति वर्ष।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	134100
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	350000	39000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	70000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	3000
<b>B. Labour Welfare</b>			
6	Shelter rooms for labours	20000	2000
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
10	VT Training for Labour	Nil	10500
<b>C. Carbon Sequestration</b>			

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

11	For Carbon Foot print tree adaptation	45000	-
12	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	10000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
13	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
14	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
15	Bins 2 nos	3000	-
<b>Total</b>		<b>554,000</b>	<b>343,600</b>

- 2.. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.87 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम रामपुरघाट के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 87000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	<b>87000.00</b>

1. नदीक्षेत्रहेतुनिम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार )सतत सिंचाई,5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(नदी के किनारे कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास - पंक्ति 5-4कटंग बांस करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी	1200

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

		अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	
	रामपुरघाटग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2800
		कुल	4000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापनखनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवंलाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**38. Case No P2/160/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.00 Hectare, Khasra No.- 2531/13 in Village - Goyra-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 30450 cum per annum [SIA/MP/MIN/474754/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2531/13(सरकारी-गैर वन भूमि)	4.00 हे.
स्थल	ग्राम-गोयरा-1, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 30,450 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 30,450 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 14.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1822 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1822 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-गोयरा, ग्रामसभा-गोयरा,जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 02/10/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-9 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है।</li> <li>2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है।</li> <li>3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है।</li> <li>4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है।</li> <li>5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते हैं, मेरी जमीन पर कब्जा किया है।</li> </ol>	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। गुगल ईमेज के अनुसार नॉन माईनेबल क्षेत्र 1.0 हे. छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु लीज क्षेत्र 3.0 हे. उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 3.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 30450 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -30450घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र के वन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodial Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.39 लाख प्रति वर्ष ।

**EMPBudget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

1	Cost for Water	-	113220
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc.	460000	50,000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84,000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	51,000	5,100
5	PUC certification for trucks	Nil	4,000
<b>B. Labour Welfare</b>			
6	Shelter rooms for labours	50,000	5,000
7	Drinking Water Facility for Labour and staff	10,000	2,000
8	Bio-Toilets for Male and Female	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21,000
10	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31,500
11	VT Training for Labours	Nil	10,500
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
12	For Carbon Foot print tree adaptation	40000	-
13	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	7000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
14	First Aid Box & firefighting Equipment	22,000	2,000
15	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	10,000	5,000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
16	Bins 2 nos	3000	3000
<b>Total</b>		<b>683000</b>	<b>339320</b>

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम गोयरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 100000.00रुपये की राशि बैंक खाते में भूमाह के अन्दर जमा कर दी जाएगी। 03 प्रवेश की-	<b>100000.00</b>

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग - पंक्ति 5-4बांस करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
	गोयरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			3500
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन? खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नामए लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**39.Case No P2/162/24 BALVEER TOMAR,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 2531/13 in Village - GOYRA -2, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 80000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/474753/2024]**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केननदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2531/13(सरकारी-गैर वन भूमि)	10.00 हे.
स्थल	ग्राम-गोयरा, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 80,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 80,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 14.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1822 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1822 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-गोयरा, ग्रामसभा-गोयरा, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 02/10/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है।</li> <li>2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है।</li> <li>3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है।</li> <li>4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है।</li> <li>5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते हैं, मेरी जमीन पर कब्जा किया है।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। गुगल ईमेज के अनुसार नॉन माईनेबल क्षेत्र 4.0 हे. छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु लीज क्षेत्र 6.0 हे. उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 6.0 हे. एवं रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 80,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिले के संबंधित वन विभाग के अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Crocodile Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.88 लाख प्रति वर्ष।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	131220
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	550000	75,000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84,000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	1,00,000	5,100
5	PUC certification for trucks	Nil	10,000
<b>B. Labour Welfare</b>			
6	Shelter rooms for labours	58,000	5,000
7	Drinking Water Facility for Labour and staff	14,000	2,000
8	Bio-Toilets for Male and Female	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21,000
10	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31,500
11	VT Training for Labour	Nil	10,500
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
12	For Carbon Foot print tree adaptation	80000	-
13	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	16000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
14	First Aid Box & firefighting Equipment	22,000	2,000
15	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10,000	5,000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
16	Bins 2 nos	3000	3000
<b>Total</b>		<b>8,83,000</b>	<b>3,88,320</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम गोयरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,50,000.00 रुपये की राशि भूमाह के अन्दर जमा कर दी जाएगी। 03 प्रवेश की-	1,50,000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 8000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4 करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2400
	गोयरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5600
कुल			8000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृतपौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**40. Case No P2/150/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 574 in Village - TILA-2, Tehsil - Naugaon, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [SIA/MP/MIN/476059/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो धसाननदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	574(सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम-टीला, तहसील-नौगांव, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 60,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 60,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 10.000 हे.	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1817 दिनांक31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1817 दिनांक31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- टीला, ग्रामसभा-टीला, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/068/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-16 के सरल क्रमांक-38 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दिनांक24/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई</li> <li>• पर्यावरण को लेकर ग्रामीणों के साथ परियोजना का सामंजस्य बना रहे।</li> <li>• वृक्षारोपण कराया जाये। पानी का छिडकाव कराया जाये।</li> <li>• पानी का छिडकाव होना चाहिये।</li> </ul>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के कुछ भाग में पानी भरा हुआ परिलक्षित हो रहा है, जो जनवरी 2021 गूगल ईमेज के अनुसार लगभग 1.35 हे. है। अतः लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 4.6 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.75 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 60,000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.53 लाख प्रति वर्ष।

**EMPBudget**

S.No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	88020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	350000	40500
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	-	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	15500	1750
<b>B. Labour Welfare</b>			
5	Shelter for labours	20000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	25000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	-	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	-	16800

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

9	VT Training for Labours	-	4200
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	55000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	12000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	20000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>518500</b>	<b>253770</b>

18. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम टीला के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,80,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भूमाह के अन्दर जमा कर दी जाएगी। 03 प्रवेश की-	<b>1,80,000.00</b>

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4 करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी	1800

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

		अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	
2	टीला ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4200
		कुल	6000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापनखनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवंलाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**41. Case No P2/168/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.20 Hectare, Khasra No.- 1063 in Village - BAGMAU, Tehsil - Lavkushnagar / Laundi, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 3250 cum per annum SIA/MP/MIN/475941/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो उर्मिल नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफ़लाइन उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	1063 (सरकारी-गैर वन भूमि)	4.200 हे.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

(सरकारी/निजी)	
स्थल	ग्राम-बागमऊ, तहसील-लवकुशनगर, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 3250 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 3250 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 7.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1824 दिनांक31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1824 दिनांक31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-बागमऊ,ग्रामसभा-बगमऊ, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 14/06/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-16 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक24/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उर्मिल नदी में रेत नहीं है, अतः पानी के जीव - जंतु को हानि होती है। अतः उनका उपाय किया जाये, और सुविधाजनक तरीके से कार्य योजना बनाए।</li> <li>2. कंपनी के कार्य से सहमत है, रोजगार प्राप्त हुआ है।</li> <li>3. पानी का छिडकाव किया जाये। रोजगार प्राप्त हो गांव के लोगों को।</li> <li>4. गरीब लोगों के लिए रोजगार प्राप्त हो इस योजना से।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गुगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के कुछ भाग में पानी भरा हुआ परिलक्षित हो रहा है, जो मार्च 2018 गुगल ईमेज के अनुसार लगभग 1.1 हे. है। खदान से

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

पश्चिम में 1.8 कि.मी पर स्टाप डेम है। अतः लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 3.1 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 3250घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -3250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.81 लाख प्रति वर्ष।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	52020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers,	38000	5000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	signage boards, Reflectors, development of T-Point etc		
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	5000	500
<b>B. Labour Welfare</b>			
5	Shelter for labours	18000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	22000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	16000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	1000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	15000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	15000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>131000</b>	<b>181020</b>

19. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बागमऊ के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 20000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भूमाह के अन्दर जमा कर दी जाएगी। 03 प्रवेश की-	<b>20000.00</b>

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बागमऊग्रामवासियों में वितरण	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल,	500

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	हेतु	नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
कुल			<b>500</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापनखनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवंलाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**42. Case No P2/163/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 854 in Village - BAGHARI-2, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 61670 cum per annum [SIA/MP/MIN/475464/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	854 (सरकारी-गैर वन भूमि)	8.00 हे.
स्थल	ग्राम-बघारी, तहसील-चंदला, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 61670 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 61670 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 12.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1813 दिनांक31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1813 दिनांक31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-हरई, ग्रामसभा-बघारी, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 22/06/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-13 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक24/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेत खदान के कारण ग्रामीण रस्ता क्षतिग्रस्त होता है।</li> <li>2. रस्ते में धूल उड़ती है। ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो। <b>CSR</b> का फंड ग्राम पंचायत के विकास के लिए खर्च हो।</li> <li>3. गाँव के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। धूल के उपाय हेतु पानी का छिडकाव हो।</li> <li>4. रेत खदान से मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के पश्चिम में 3.0 कि.मी. पर ब्रिज है। आसपास में कोई अन्य संरचना नहीं है। गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के कुछ भाग में पानी भरा हुआ परिलक्षित हो रहा है, जो वर्ष 2015 गूगल ईमेज के अनुसार नॉन माईनिंग एरिया लगभग 2.66 हे. है। लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 5.34 हे.



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 61670 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -61670 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिले के संबंधित वन विभाग के अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodile Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 5.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.35 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring
--------	-------------	--------------	-----------

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

			<b>Cost</b>
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	70020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	330000	40000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	17500	1750
<b>B. Labour Welfare</b>			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	60000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	10000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	20000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>513500</b>	<b>235270</b>

20. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.99 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
-----------------------------------	---------------

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

ग्राम बघारी में वर्षा जल संचयन में सहयोग हेतु 49, 000.00रुपये की राशि बैंक खाते में भूदी जाएगी। माह के अन्दर जमा कर 03 प्रवेश की-	49,000.00
ग्राम बघारी के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 50, 03 प्रवेश की-रुपये की राशि बैंक खाते में भू 000.00माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50,000.00
<b>कुल</b>	<b>99000.00</b>

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 6200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4  -पंक्ति 6 करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी  अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2000
	बघारी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4200
<b>कुल</b>			<b>6200</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन? खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**43. Case No P2/167/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.30 Hectare, Khasra No.- 730 in Village - BANJARI, Tehsil - Chandla, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 55000 cum per annum [SIA/MP/MIN/475506/2024]**

हुए प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थित हुए।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	730 (सरकारी-गैर वन भूमि)	12.30 हे.
स्थल	ग्राम-बंजारी, तहसील-चंदला, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 55,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 55,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 24.900 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	क्रमांक/खनिज/2023/1810 दिनांक31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1810 दिनांक31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-बंजारी, ग्रामसभा-बंजारी, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव अगस्त 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक24/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेत खदान के कारण ग्रामीण रस्ता क्षतिग्रस्त होता है।</li> <li>2. रस्ते में धूल उड़ती है। ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त हो। <b>CSR</b> का फंड ग्राम पंचायत के विकास के लिए खर्च हो।</li> <li>3. गाँव के लोगों को रोजगार प्राप्त हो।धूल के उपाय हेतु पानी का छिडकाव हो।</li> <li>4. रेत खदान से मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज एरिया में उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 12.30 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 55000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -55000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिले के संबंधित वन विभाग के अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Crocodile Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.69 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	Nil	142020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	450000	50,000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	70,000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	9000
<b>B. Labour Welfare</b>			
6	Shelter for labours	25000	2500
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
10	VT Training for Labours	Nil	10500
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
11	For Carbon Foot print tree adaptation	56000	-
12	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	11000	-

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
13	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
14	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
15	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>669,000</b>	<b>369,020</b>

21. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बंजारी के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50,000.00
ग्राम बंजारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50,000.00
<b>कुल</b>	<b>1,00,000.00</b>

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 5500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4 करंज - पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1700

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>2</b>	बंजारी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3800
कुल			5500
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन? खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**44. Case No P2/156/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.00 Hectare, Khasra No.- 2113 (New Khasra No. 1523) in Village - ALIPURA-2, Tehsil - Naugaon, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/475257/2024]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो धसान नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीबलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	2113(सरकारी-गैर वन भूमि)	7.00 हे.



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

(सरकारी/निजी)	
स्थल	ग्राम-अलीपुरा, तहसील-नौगांव, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 60,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 60,000 घनमी./वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 11.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1815 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1815 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-17 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 24/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई  5. पर्यावरण को लेकर ग्रामीणों के साथ परियोजना का सामान्य से बना रहे। वृक्षारोपण कराया जाए। पानी का छिड़काव कराया जाए। 6. बालू के मूल्य को नियंत्रित किए जाने पर कार्य किया जाए। 7. पानी का छिड़काव होना चाहिए। 8. सभी को सामान्य मूल्य पर रेत उपलब्ध कराया जाए। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति देखकर अलग-अलग मूल्य पर दिया जाता है।  समिति द्वारा से संबंधित जनसुनवाई के कार्य का कार्यवाही विवरण आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकता अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक पर्यवेक्षक कार्यों की समीक्षा की गई।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 7.0 हे. एवं रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 60000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.66 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	97020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	400000	40000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	16000	1600
<b>B. Labour Welfare</b>			
5	Shelter for labours	25000	4000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	12400
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	34000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	5000	-
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	20000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>551000</b>	<b>266020</b>

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम अलीपुरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	<b>1,00,000.00</b>

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	खस - पंक्ति 3-1, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास कटंग बांस - पंक्ति 5-4 करंज -पंक्ति 6, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
1	अलीपुरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			3000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापनखनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**45. Case No P2/392/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.500 Hectare, Khasra No.- 481, in Village - KUSHALI, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 2000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/476073/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 481 ( शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.50हे.
स्थल	ग्राम –कुशली, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कुशमीरेत खदान, दिनांक- 25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कुशली रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 2,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 13.370 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.870 अतः प्रकरण बी-1	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

	श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 410 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/ वैक्षणिकसंस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ तम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद तान/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुशली जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां त भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10 के सरल क्रमांक-10 एवं पेज नं.- 60 के सरल क्रमांक- 10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.5 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 2,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 9.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.13 लाख प्रति वर्ष ।

### EMP PLAN

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X 150 = ₹2,50,0 00)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X5 00 = ₹ 50,000)	3,45,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(900X5 0 = ₹ 45000)	34,500
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 10	10,000	1,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima	5,000	1,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors - 10× 500 × 2)	-	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500)	15,000	3,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	-	-
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>9,26,000/-</b>	<b>3,13,652 /-</b>

22. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम कुशलीके शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 30,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति कुशलीके बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	30,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>कुल</b>	<b>30,000</b>

23. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2000 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
<b>कुल</b>			<b>2000</b>

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
  - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
  - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**46. Case No P2/391/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - MUDKATIYA, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 5000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/476052/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 ( शासकीय भूमि नदी)      क्षेत्रफल – 6.00 हे.
स्थल	ग्राम – मुड़कटिया, तहसील – शाहपुरा, जिला – जबलपुर, म.प्र.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मुड़कटिया रेत खदान, दिनांक- 24 / 10 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मुड़कटिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत - 5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 5,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 27 / 03 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्यखदान संचालित / स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 27 / 03 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 27 / 03 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / म गान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धरतीकछारग्राम मुड़कटिया जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10के सरल क्रमांक-11 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 20/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 6.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत -5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.17 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP PLAN**

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	72,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,20,000	24,000
3.	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1500X150 = ₹2,25,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500= ₹ 1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area	(5500X50 =	
		6,00,000	77,508

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	and distribution to villagers @ Rs.50/plant	₹ 2,75,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (2 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	2,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 16		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 16 Labors - 16× 500 × 2)		-	16,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 16 workers - 16 × 1500)		24,000	4,500
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	-	-
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	<b>Total</b>		<b>10,20,000/-</b>	<b>3,17,508/-</b>

24. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम मुड़कटिया के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000
<b>कुल</b>	<b>50,000</b>

25. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य एवं 5500 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5500
<b>कुल</b>			<b>7200</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**47. Case No P2/385/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 13.370 Hectare, Khasra No.- 414, in Village - CHARGAWAN, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 8000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/476034/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 414 ( ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 13.370 हे.
स्थल	ग्राम –न्यू चरगवां, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम न्यू चरगवां रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा न्यू चरगवां रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 8,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 414 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 4.500 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.87 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 414 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 414 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट/ शैक्षणिकसंस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन /सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन शील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत न्यू चरगवा जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11,12 के सरल क्रमांक- 15 एवं पेज नं.- 60 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। गुगल ईमेज मई 2022 के अनुसार खनन हेतु 1.6 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 1.60 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 8000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -8000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 12.25 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.92 लाख प्रति वर्ष ।

### EMP PLAN

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	90,000	18,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X150 = ₹1,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = ₹ 50,000)	24,500
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(900X50 = ₹ 45000)	24,500
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (4 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	4,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 26	20,000	2,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for	5,000	1,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	grassland/fodder development on Charnoi Land.			
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 26 Labors - 26× 500 × 2)		-	26,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 26 workers - 26 × 1500)		39,000	6000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	-	-
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	<b>Total</b>		<b>12,25,000/-</b>	<b>3,92,732/-</b>

26. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम नयाचरगवां के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 40,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति नयाचरगवां के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	40,000
<b>कुल</b>	<b>40,000</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

27. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	900
<b>कुल</b>			<b>2000</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**48. Case No P2/383/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 484, in Village - BARBATI, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 10000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/476021/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 484 ( ासकीय भूमी नदी)      क्षेत्रफल – 6.00 हे.
स्थल	ग्राम – बरबटी, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बरबटी रेत खदान, दिनांक- 19/10/2023



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बरबटी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 10,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2493 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2493 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2493 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदनि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरबटी जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 29/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12के सरल क्रमांक-16 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 6.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 10,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.93 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP PLAN**

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	44,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	60,000	12,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4000X150 = ₹6,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹1,00,000)	8,50,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2800X50 = ₹1,40,000)	1,91,520
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (5 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	5,000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
iv) Noise Pollution				
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 16		20,000	2,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 16 Labors - 16× 500 × 2)		-	16,000
<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 16 workers - 16 × 1500)		24,000	4,500
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
<b>16</b>	To reduce carbon footprint sequestration		-	
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation		-
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>			<b>12,10,000/-</b>	<b>3,93,020/-</b>

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

28. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम बरबटी के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 30,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	30,000
<b>कुल</b>	<b>30,000</b>

29. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7000 वृक्षों का वृक्षारोपण का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	4000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2800
<b>कुल</b>			<b>7000</b>
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम			

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**49. Case No P2/388/24 RAMESH BHUMARKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 558, in Village - KUNDAKALAN, Tehsil - Shahpura, District - Jabalpur (MP), Maximum Production - 20000 cum per annum [SIA/MP/MIN/476011/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रमेश भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. - 558                      क्षेत्रफल -

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

(सरकारी/निजी)	( ग्रासकीय भूमी नदी)	10.00हे.
स्थल	ग्राम – कूड़ाकला, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कूड़ाकला रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कूड़ाकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 20,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2486 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2486 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2486 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	मानवबसाहट / वैश्विकसंस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / आम गान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न / दूरद न / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कूड़ाकला जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 15 के सरल क्रमांक-24 एवं पेज नं.- 61 के सरल क्रमांक- 24 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 10.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 20,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माईनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन भ्रू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में क्वीटल राशि रु. 11.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 4.71 लाख प्रति वर्ष।

**EMP PLAN**

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3000X150 = ₹4,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)	5,50,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(8800X50 = ₹ 4,40,000)	55,000
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (9 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	9,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 16	20,000	2,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 16 Labors - 16× 500 × 2)	-	16,000
<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker.	24,000	3,200

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	(For 16 workers - 16 × 1500)			
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
<b>16</b>	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	<b>Total</b>		<b>11,75,000/-</b>	<b>4,71,000/-</b>

30. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ		राशि (रू.में)
जनआस्थाकेंद्रकेलिएविकासहेतुभूप्रवेशकीतीनमहीनेबादग्रामपंचायतकोराशि3 माहकीअंदरदीजावेगी		90,000
कुल		90,000

31. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं	3000

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

		स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
<b>कुल</b>			<b>3200</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**50. Case No P2/313/24 PRAMOD SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.-**

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

**767, in Village - BALBEHRA, Tehsil - Jaithari, District - Anuppur (MP), Maximum Production - 90000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/475957/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार सक्सेना (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 767 ( तासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 5.00 हे.
स्थल	ग्राम – बलबहरा, तहसील – जैतहरी, जिला – अनूपपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बलबहरा रेत खदान, दिनांक- 05/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बलबहरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 29/02/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 7.000 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.000 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1027 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे गान/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलबहराग्राम बलबहरा जिला अनूपपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 04/06/2016 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	तिपान नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	13/09/2023

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-11के सरल क्रमांक-15 एवं पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-9 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 18/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में उत्तर पश्चिम दिशा में एक ब्रिज स्थित है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 5.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 90,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चत करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।

<b>EMP TABLE</b>			
<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Capital Cost(Rs)</b>	<b>Recurring Cost (Rs)</b>
<b><u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u></b>			

5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई **Aquatic Fauna** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.89 लाख प्रति वर्ष ।



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	68400
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	114000	22800
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3600X150= ₹5,40,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500= ₹ 50,000)	705000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2300X50 = ₹ 1,15,000)	168732
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (42 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	42,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 49	40,000	4,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 68 Labors - 49× 500 × 2)	-	49,000
<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 68 workers - 68 × 1500)	73,500	14,700
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
<b>16</b>	To reduce carbon footprint sequestration		

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>12,93,500/-</b>	<b>4,89,000/-</b>

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,60,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम बलबहरा के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,60,000
<b>कुल</b>	<b>1,60,000</b>

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2300 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं	2300

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	अन्य स्थानीय प्रजातिया	
	<b>कुल</b>	<b>6000</b>
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**51. Case No P2/312/24 PRAMOD SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.-766, 001, in Village - BALBEHRA UMARIYA, Tehsil - Jaithari, District - Anuppur (MP), Maximum Production - 126000 cum per annum [ SIA/MP/MIN/475942/2024]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री प्रमोद कुमार सक्सेना (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 766 एवं 01 ( शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 7.00 हे.
स्थल	ग्राम –बलबहरा उमरिया, तहसील –जैतहरी, जिला –अनूपपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम बलबहरा उमरिया रेत खदान, दिनांक– 05/11/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बलबहरा उमरिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 29/02/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,26,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,26,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के	

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024**

	एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 5.000 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.000 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 02/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन शील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्राम बलबहरा जिला अनूपपुर के अनापत्ति पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	तिपाननदीखदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है। खदानसेउत्तर-पश्चिमदिशामेंपुलसे 500 मीटरदूरीछोड़नेकेउपरान्तक्षेत्रउपलब्धक्षेत्र 4.5 हेक्टेयरहैजोउत्पादन 126000 पूराकरताहै
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13के सरल क्रमांक-22 एवं पेज नं.-47 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 18/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र से डाउन स्ट्रीम में 200मी. पर ब्रिज है। अतः 500 मी. का सेटबैक देने के बाद नॉन माईनिंग एरिया 1.7 हे. होता है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 5.3 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 1,26000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -1,26000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।

759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को

**EMP TABLE**

- प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी काअभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.05 लाख प्रति वर्ष

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
<b>1(b)</b>	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
<b>2.</b>	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	60,000	12,000
<b>3.</b>	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4200X150= ₹6,30,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(70X500= ₹ 35,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4130X50 = ₹ 2,06,500)	
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (58 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	58,000
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 68	60,000	6,000
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 68 Labors - 68× 500 × 2)	-	68,000
<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 68 workers - 68 × 1500)	102,000	20,400
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light)	20,000	5,000



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.			
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>			<b>14,54,500/-</b>	<b>5,05,550/-</b>

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बलबहरा उमरिया के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 2,40,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	2,40,000
<b>कुल</b>	<b>2,40,000</b>

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4270 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4130 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई	नीम, पीपल, अचार, बरगद,	70

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

	1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4130
<b>कुल</b>			<b>8400</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 28 मई 2024

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

**Case No. P2/592/24 Shri VISHNU PATIDAR, Owner, S/o Shri Dev Singh Patidar, Village - Kannod Mirji, District – Sehore (M.P.) Prior Environment Clearance for Basalt Stone in an area of 1.0 ha. (Basalt stone - 5004 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 131/3, 131/5) Village- Ahamadpur Viran, Tehsil- Ashta, District- Sehore (M.P) B-2**

समिति के संज्ञान में आया कि समिति की पूर्व 750वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें ब्लास्टिंग एवं ग्राम पंचायत का नाम ग्राम-जिरावहे, जिला नर्मदापुरम उल्लेख हो गया है जबकि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं ग्राम पंचायत अरोलिया, जिला सीहोर होना चाहिये ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व 750वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित ब्लास्टिंग एवं ग्राम पंचायत का नाम जिरावहे जिला नर्मदापुरम के स्थान पर नॉन ब्लास्टिंग एवं ग्राम-पंचायत अरोलिया, जिला सीहोर पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ए० ए० मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ० जयप्रकाश शुक्ला)  
को-चेयरमेन

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

/ Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  38. केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

# 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

## Annexure- 'B'

### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Movable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.



**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**Annexure- ‘C’**

**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

- technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - p. Movable Potential of sand mine.
    - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

**Annexure- 'D'**

**General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

**759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 28 मई 2024**

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

**खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-**

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.

## 759 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 28 मई 2024

3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे



**Additional TOR points for Minor Minerals -**  
**In addition to Standard TOR**

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

**A- In government land**

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

**B. In Fodder Land**

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant ( standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower , Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

**4. For blasting or for non blasting:** if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
  - I. OWN
  - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
  - III. Cost benefit ratio
  - IV. If grass land : grass land development & maintenance
  - V. Catchment of the major river & its protection plan.

**5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.**

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there



**6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes ( if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

**(B) If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

**7. SITE VISIT REQUIREMENTS :**

**Consultant must visit the site for B<sub>1</sub> and B<sub>2</sub> areas both: Following information/data is required to be collected during site visit**

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

**8. Regarding Public hearing**

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report )

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activitiy:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plann to be enclosed
- slurry management



- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m<sup>3</sup>/yr with crusher, 15000 m<sup>3</sup> /yr without crusher
2. murum- 20,000 m<sup>3</sup>/yr
3. Clay – 30,000 m<sup>3</sup>/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less then 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

### Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m<sup>3</sup>/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

## सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा एवं खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेगें।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।



8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

## Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।



21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.  
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs  
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।



## Standard ToR for Building Construction Project

### For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be .....
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature \_\_\_\_\_
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

## 1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor \_\_\_\_\_

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

### Regarding shops

- I. Floating population
- II. Utility facilities
- III. Parking etc

- CER - As per Public Hearing  
Physical/Costing

- Year of plantation to be completed.
- CER works completion time
- Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
- If any violation.
- If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
- No. of D.G. set & its Power
- No. lifts/floor wise
- In campus if any commercial shops
  - Then parking
  - Utility places
- Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
- Periphery length & plantation – No. of Rows  
Width of plantation.